₹ 20

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

फ़रवरी 2014

- कन्या भ्रूण-हत्या : कारण और निवारण
  –डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी
- घटते लिंगानुपात के संदर्भ में
  –डॉ॰ मीता सिंह
- घटता लिंगानुपात : एक गंभीर प्रश्न
  –डॉ॰ जनक सिंह मीणा
- कब बदलेगी महिला विरोधी मानसिकता ?
  –डॉ॰ मुहम्मद अहमद
- हिरोशिमा की त्रासदी से सीरिया तक
  –जॉन पिल्जर

SHALIMAR

RESTAURANT



Special Items

CHICKEN

- Murg Mumtaz
- Chicken Malaysia
- Jalwa Kabab
- Tiranga Kabab
- Seekh Kabab
- Multani Kaban

SEA FOOD

- Fish Tandoori
- King Prawns Tandoori
- Fish Angara

VEG

- Paneer Tikka



CHICKENS KABABS

- Chicken Tandoori
- Chicken Liver Takka
- Chicken Tikka
- Murg Kohinoor
- Reshmi Kabab
- Sholay Kabab
- Pahadi Kabab
- Khazana Kabab
- Chaurangi Kabab
- Sonali Kabab

Exclusively at : Shalimar Corner, Bhendi Bazar,Mumbai-400003
E-mail : info@shalimargroup.com, www.shalimargroup.com
Tel. : 23456630/34, Fax : 23456629

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 23 अंक 8 फ़रवरी 2014

जब जीवित गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गयी ?
–क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

09818799223, 011-26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 20/- विशेषांक रु० 30/-

वार्षिक रु० 220/-, दो वर्ष 425/-

पांच वर्ष 1000/-, आजीवन रु० 5000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–100 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–35 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

काश–आदमी सड़क हो पाता

सड़क-सीधी होनी चाहिए
पर सड़क
सीधी नहीं होती,
करना पड़ता है समझौता
सड़क को
नदी से, नालों से
आबादी से और पहाड़ों से ।
सड़क पहाड़ों के बीच से
नहीं गुज़रती
वह–
पहाड़ों के साथ चलती हुई
आबादी के बीच से
गुज़रती है,
इसीलिए आबादी
उसके साथ है चलती ।
सड़क भी
आदमी के मोहपाश में जकड़ी
उसके सुख-दुख में शामिल
बिछ जाती है उसके लिए,
अपने सीने पर
सहती है हरदर्द
अपने अस्तित्व का मोह छोड़
आबादी तक आकर
उसमें हो जाती है विलीन !
पर आदमी
अपने अहंकार में डूबा
पृथक रखता है अपना अस्तित्व,
छोड़ नहीं पाता कभी
अपना 'अहम' !
काश–
आदमी सड़क हो पाता !

● **विष्णु सक्सेना**

बी-2/29, धर्मपुर कालोनी, पिंजौर (हरियाणा)



कहां क्या है ?

काश आदमी सड़क हो पाता	–विष्णु सक्सेना	3
कुरआन ज्योति		5
दुआएं (हदीस मंजरी)		6
'आप' से आशाएं (संपादकीय)		7
संतुलित शिक्षा की आवश्यकता (आपके पत्र)		9
सेकुलर नहीं थे सरदार पटेल (उद्‌गार)	–ज़ी॰ कैफ़ नौगांवी	15
भ्रष्टाचार का कारण और निवारण (विमर्श)	–रोशनलाल अग्रवाल	17
हिन्दी पत्रकारिता : गिरता स्तर (मीडिया)	–विद्या प्रकाश	21
पेयजल की बढ़ती समस्या (ज्वलंत-सामयिक)	–मुशर्रफ़ अली	23
ग़रीबी और भूख के कुचक्र में फंसे मासूम (मुद्दा)	–बाबूलाल नागा	25
कन्या भ्रूण-हत्या : कारण और निवारण (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी	26-27
इल्तिजा (कविता) (विशेष आयोजन)	–इन्तिज़ार नईम	30
घटते लिंगानुपात के संदर्भ में भाषा का अनुचित प्रयोग (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ मीता सिंह	31
घटपा लिंगानुपात : एक गंभीर प्रश्न (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ जनक सिंह मीणा	33
कब बदलेगी महिला विरोधी मानसिकता ? (फेसबुक उवाच)	–डॉ॰ मुहम्मद अहमद	35
कहना बड़ों का मानो (कविता)	–अभिराम सत्यज्ञ 'जयशील'	36
दो कविताएं	–ओम प्रकाश बजाज	37
जीवन साथी (कहानी)	–डॉ॰ सलीम ख़ां	39
हिरोशिमा की त्रासदी से सीरिया तक (दृष्टिकोण)	–जॉन पिल्जर	45
स्पेस सूट क्यों पहनते हैं अन्तरिक्ष यात्री (बालवीथी)		49

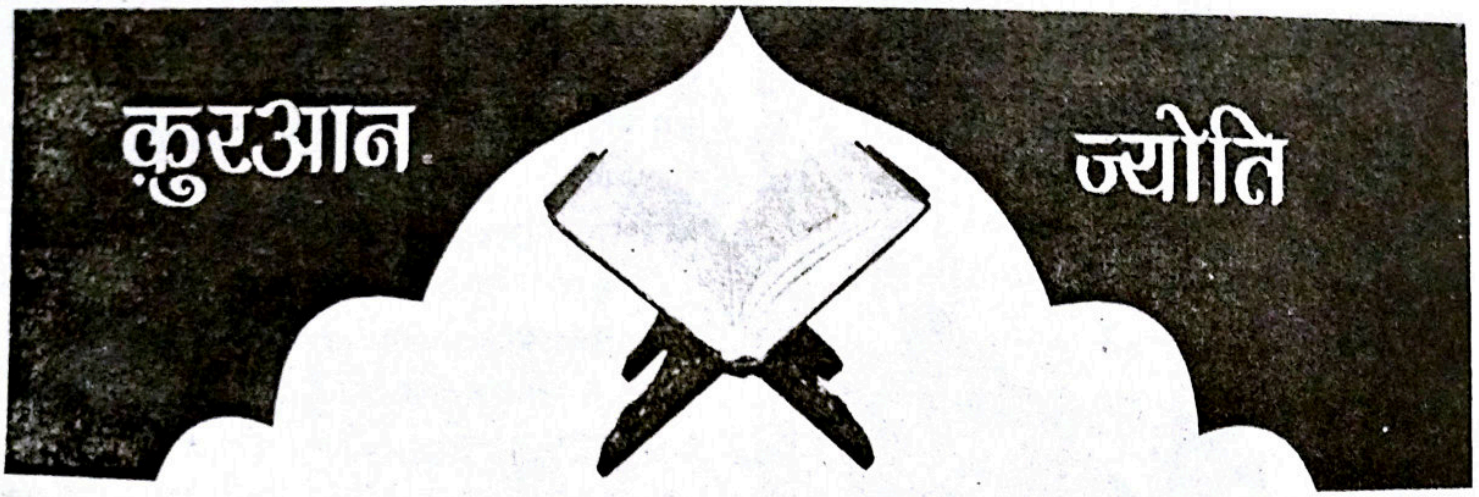

(45) ऐसा निवेदन तो केवल वही लोग करते हैं जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में सन्देह है और वे अपने सन्देह ही में दुविधाग्रस्त हो रहे हैं ।[46]

(46) अगर वास्तव में उनका इरादा निकलने का होता तो वे इसके लिए कुछ तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसन्द ही न था[47] इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया कि बैठे रहो बैठने वालों के साथ । (47) अगर वे तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अन्दर ख़राबी के सिवा किसी चीज़ को न बढ़ाते, वे तुम्हारे बीच फ़ित्ना पैदा करने के लिए दौड़-धूप करते और तुम्हारे गिरोह का हाल यह है कि अभी उसमें बहुत-से ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं, अल्लाह इन ज़ालिमों को ख़ूब जानता है । (48) इससे पहले भी इन लोगों ने फ़ितना पैदा करने की कोशिशें की हैं और तुम्हें विफल करने के लिए ये हर प्रकार के उपायों का उलट-फेर कर चुके हैं, यहां तक कि उनकी इच्छा के विपरीत सत्य आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा।

–क़ुरआन, 9 : 45-48

46. इससे मालूम हुआ कि कुफ़्र व इस्लाम का संघर्ष एक कसौटी है जो खरे मोमिन और खोटे ईमान के दावेदार के अन्तर को स्पष्ट खोलकर रख देती है । जो व्यक्ति इस संघर्ष में दिल व जान से इस्लाम का समर्थन करे और अपनी सारी शक्ति और तमाम साधनों को उसका बोलबाला करने की कोशिश में खपा दे और किसी क़ुरबानी से संकोच न करे वही सच्चा मोमिन है । इसके विपरीत जो इस संघर्ष में इस्लाम का साथ देने से जी चुराये और कुफ़्र के प्रभुत्व का ख़तरा सामने देखते हुए भी इस्लाम के प्रभुत्व के लिए जान-माल की बाज़ी खेलने से बचे उसका यह रवैया स्वयं इस तथ्य को स्पष्ट कर देता है कि उसके दिल में ईमान नहीं है ।

47. अर्थात् न चाहते हुए उठना अल्लाह को पसन्द न था, क्योंकि जब वे जिहाद में शरीक होने के जज़्बे और नीयत से ख़ाली थे और उनके भीतर दीन को प्रतिष्ठित बनाने के लिए जान लगा देने की कोई कामना न थी, तो वे केवल मुसलमानों की शरमा-शरमी से बददिली के साथ या किसी गड़बड़ी फैलाने की नीयत से मुस्तैदी के साथ उठते, और यह चीज़ हज़ार ख़राबियों का कारण बनती, जैसा कि बाद वाली आयत में साफ़ तौर पर कह दिया गया है ।

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazine, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com



दुआएं

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (स॰) ने प्रार्थना की: "ऐ अल्लाह दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने आज्ञापालन की तरफ़ फेर दे ।" –मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "अल्लाह की पनाह मांगो इससे कि आज़माइश की कठिनाई से, बदनसीबी में पड़ने से, दुर्भाग्यग्रस्त होने से तुम्हारी रक्षा हो सके और इससे कि शत्रुओं को हर्षित होने का अवसर मिले ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

और एक रिवायत में है कि हज़रत सुफ़यान ने कहा : मुझे सन्देह है कि मैंने इसमें एक चीज़ बढ़ा दी है ।

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) यह प्रार्थना किया करते थे : "ऐ अल्लाह, मेरे लिए मेरे दीन को ठीक रख, जो मेरे मामले का संरक्षक है और मेरे लिए मेरी दुनिया को ठीक रख जिसमें मेरा जीवन-यापन है और मेरे लिए मेरी आख़िरत को ठीक और बेहतर रख जो मेरे लौटकर जाने की जगह है, और जीवन को मेरे लिए हर भलाई में अभिवृद्धि का कारण बना, और मृत्यु को मेरे लिए प्रत्येक अनिष्ट चीज़ से मुक्त होकर आराम पाने का कारण बना ।" –मुस्लिम

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) यह प्रार्थना किया करते थे : "ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं बचने के लिए लाचारी, आलस, कायरता, जरा-जीर्णता और कृपणता से । और मैं तुझसे पनाह मांगता हूं क़ब्र की यातना से बचने के लिए और मैं तुझसे पनाह मांगता हूं जीवन और मृत्यु की आज़माइश से बचने के लिए ।"

और एक रिवायत में है : "ऋण के बोझ और लोगों के अभिभूत करने से बचने के लिए ।" –मुस्लिम

● हज़रत अबू बक्र अस-सिद्दीक़ (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से कहा : आप मुझे कोई ऐसी प्रार्थना सिखा दें जिसे मैं नमाज़ में पढ़ा करूं । आपने कहा : "कहो : 'ऐ अल्लाह, निश्चय ही मैंने अपने आप बहुत जुल्म किया है, तेरे सिवा कोई गुनाहों को क्षमा नहीं करता, अत: तू मुझे अपने यहां से क्षमा प्रदान कर और मुझ पर दया कर । निस्सन्देह तू अत्यंत क्षमाशील, दयावान है ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

एक रिवायत में ये शब्द भी हैं : "और मेरे घर में ।" "बहुत जुल्म" भी आया है और "बड़ा जुल्म" भी ।

● हज़रत अबू मूसा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) यह प्रार्थना किया करते थे : "ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह को क्षमा कर दे और मेरी नादानी को और मेरे अपने मामले में मुझसे जो ज़्यादती हुई हो उसे भी जिसे तू मुझसे ज़्यादा जानता है । ऐ अल्लाह, मेरे गंभीर और हंसी-मज़ाक़ में हुए दोनों प्रकार के गुनाहों को क्षमा कर और उन गुनाहों को भी जो मुझसे भूल-चूक में हुए हों और उन्हें भी जिनको मैंने इरादे से किया हो और यह हर एक गुनाह मेरे पास है । ऐ अल्लाह, क्षमा कर अगले और पिछले वे सब गुनाह जो मैंने छिपकर किये और जो मैंने खुलकर किये और जिसके विषय में तू मुझसे अधिक जानता है । तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे डालने वाला है और तुझे हर चीज़ पर पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त है ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम
('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

'आप' से आशाएं

देश के राजनैतिक पटल पर चमत्कारिक रूप से आम आदमी पार्टी (आप) का उदय हो चुका है । लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक और पंडित ज्योतिषी साबित हो चुके हैं, जो आप को कम आंक रहे थे । कोई भी नहीं समझ रहा था कि भारतीय राजनीति का तीसरा विकल्प बहुत ही सुगमता के साथ प्रकट हो जाएगा ! पिछले छह-सात दशकों में देश की राजनीति विशेषकर दो ही पार्टियों-कांग्रेस और भाजपा के इर्द-गिर्द घूमती रही, यहां तक कि आपातकाल के दौरान विकल्प के रूप में उभरी जनता पार्टी आहिस्ता-आहिस्ता कई हिस्सों और घटकों में बंटकर अस्तित्वहीन हो गयी । बस राजनीति के दो विकल्प ही बचे । क्षेत्रीय पार्टियां और कम्युनिस्ट पार्टियां कभी तीसरा विकल्प नहीं दे पायीं । अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आप के उदय ने देश भर में जो संकेत दिया है, वह निश्चित रूप से वैकल्पिक राजनीति का है । भ्रष्टाचार से परेशान जनता के साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग भी इसे कुछ आशाएं व उम्मीदें बांधने लगा है । आप के उदय को एक बड़ी राजनैतिक घटना मानना अनुचित नहीं है । राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इस घटना को तरह-तरह से परिभाषित किया जा रहा है, लेकिन सामान्यत: सभी का यह विचार है कि यह अनायास नहीं हुआ । इसके पीछे कुशासन के विष-बीज हैं, जो आमजन को लंबे समय से विभिन्न समस्याओं के रूप में त्रस्त कर रहे थे और आप की थोड़ी 'ऊर्जा' पाकर प्रतिविष बीज बन गये । अब दिल्ली में आप के सत्तासीन होने के बाद कांग्रेस और भाजपा का चुनावी गणित बुरी तरह गड़बड़ा गया है । नमो के सपने चूर होते नज़र आने लगे हैं, तो भी राहुल गांधी का प्रभाव नहीं बढ़ पा रहा ! 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के एक सर्वे में वे तीसरे पादान पर चले गये । अरविन्द केजरीवाल देश के भावी प्रधानमंत्री के दूसरे सबसे पसन्दीदा उम्मीदवार बन गये हैं । परंतु आप के राजनैतिक उदय का सर्वप्रमुख एवं लगभग सर्वमान्य कारण जो माना जा रहा है । वह यही है कि देश की जनता जहां भ्रष्टाचार तथा देश को अपनी राजनैतिक विरासत समझने वालों से जितनी दुखी है, वहीं दिल्लीवासियों ने मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर भी वैसा विश्वास नहीं जताया जैसा भाजपा के नेता आस लगाये बैठे थे । कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से बनी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सत्ता संभालते ही आम जनता को जनता का राज होने के जो संदेश देने शुरू किये, उसने न केवल आप पार्टी की छवि को और अधिक लोकप्रिय बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि अब दूसरे पारंपरिक राजनैतिक दलों के नेता भी आप पार्टी के क़दमों पर चलने की योजनाएं बनाने लगे हैं ।

अत: अब आप इन दोनों पार्टियों के निशाने पर हैं और रहेगी । दूसरी ओर आप ने इन दोनों बड़ी पार्टियों को अपना चाल-चलन बदलने के लिए विवश कर दिया है । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की सादगी को किसी हद तक अपनाने का ढोंग जो चला, वह चलता ही जा रहा है । मुलायम सिंह की पार्टी के मुख्यमंत्री को छोड़ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसे किसी न किसी शक्ल में अपना रहे हैं । जहां पहले से कुछ सादगी थी, वहां जनोन्मुखता देखी जाने लगी है । गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री एन० रंगास्वामी हों या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता

बनर्जी सभी सादगी के लिए मशहूर हैं, लेकिन आप ने इन सबको आम आदमी के हितार्थ कुछ नया करने के लिए विवश कर दिया है । कांग्रेस और भाजपा के मुख्यमंत्री अब अपनी पुरातन कार्यशैली बदल ही रहे हैं । राहुल गांधी ने दशकों से विचारार्थ पड़े लोकपाल विधेयक को संसद में आनन-फ़ानन पारित करवा कर ही दम लिया ! आख़िर कैसे न हो यह सब ! सबकी राजनीति दांव पर जो लग गयी है । अरविन्द केजरीवाल का जनता के मध्य जाना, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलना, मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर शपथ ग्रहण करने हेतु रामलीला मैदान तक पहुंचना, उसके पश्चात बीमारी की स्थिति में अधिकारियों की बैठकें बुलाना, अपने घर पर जनता दरबार लगाना, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, बातचीत प्रत्येक क्षेत्र में बेइन्तिहा सादगी का परिचय देना निश्चित रूप से वास्तविक जनप्रिय सम्राट की याद दिलाता है, जो अपनी प्रजा का हाल-चाल जानने के लिए कभी साक्षात, तो कभी वेश बदलकर जनता के बीच जाया करता था । केजरीवाल और उनके मंत्री निश्चित रूप से ऐसे ही हैं ।

इन सभी ने पारंपरिक राजनीति की दिशा और दशा को सकारत्मक रूप से बदलने का जो व्यावहारिक प्रयास किया है, वह बेहद स्वागतयोग्य है । आज की राजनीति विभिन्न जटिलताओं की शिकार है । स्वस्थ मूल्य उड़नछू होते जा रहे हैं । आज के राजनेता सत्ता की राजनीति को दंभ, अहंकार, रिश्वतख़ोरी, भ्रष्टाचार, अपने रिश्तेदारों व परिवार के लोगों के लिए अकूत संपत्ति जमा करने, अपना साम्राज्य स्थापित करने या गुंडागर्दी का साधन मात्र समझते हैं । देश व जनता की सही मायने में सेवा उनके पेशेनज़र नहीं है । इस विषम स्थिति का भी आप को सर्वाधिक लाभ मिला है । दशकों से राजनीति का दिन-प्रतिदिन गिरता स्तर आम लोगों का राजनीति व राजनैतिक दलों यहां तक कि लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था तक से मोहभंग करने लगा है । राजनीति का चेहरा इतना बदसूरत व भयावह हो चुका है कि किसी भी राजनैतिक दल में मौजूद ईमानदार व्यक्ति भी पार्टी लाइन से अभिशप्त है । जनहित व लोकहित के बजाए लोकलुभावनी राजनीति को ही प्रमुखता दी जाती है । देश में धर्म व संप्रदाय के नाम पर सत्ता हासिल करने के जोड़-तोड़ सरेआम हो रहे हैं । इन शक्तियों ने व्यर्थ मुद्दों में उलझाकर महंगाई, बेरोज़गारी व भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं की ओर से मोड़ दिया है । भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नेता, अधिकारी, व्यवसायी, माफ़िया आदि मिलकर देश को अपने तरीक़े से लूट व बेच रहे हैं । चुनावों के दौरान भी यही देखा जाता है कि प्राय: जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है । इन सब प्रदूषित एवं नकारात्मक राजनैतिक वातावरण के बीच आम आदमी पार्टी का उदय अपने-आप में इस बात का द्योतक है कि देश की जनता अब तथाकथित बातों व नारों के झांसे में आने के बजाय रोटी-कपड़ा, मकान-स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, मंहगाई, भ्रष्टाचार, रोज़गार तथा अपने मूलभूत अधिकारों के लिए ज़्यादा चिंतित है । इन परिस्थितियों में 'आप' जैसे नये राजनीतिक दल का देश की जागरूक राजधानी की ओर से परिचित कराया जाना बहुत सुखद और आशाप्रद है । आगामी लोकसभा के चुनाव में भी इसकी अच्छी भागीदारी तय मानी जा रही है । बावजूद इसके कि पारम्परिक पार्टियां इसकी नक्काली करने और आप के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाए हुए हैं । मतदाताओं को चाहिए कि इस नव-विकल्प को पहचानें और इसके अच्छे उम्मीदवारों को जिताएं । आप से भी आशा है कि वह साम्प्रदायिकता, पक्षपात और संकीर्ण दृष्टिकोण को सदैव परे रखकर एवं सभी देशवासियों को साथ लेकर स्वस्थ और कल्याणकर राजनीति करे ।

संतुलित शिक्षा की आवश्यकता

आज विद्यालयों में बच्चों की एकांकी शिक्षा अर्थात केवल भौतिक शिक्षा हो रही है जबकि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है तथा वह एक आध्यात्मिक प्राणी भी है । इसलिए मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ भौतिक शिक्षा के साथ ही साथ उसे मानवीय एवं आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए । हमारे पूर्वज भी रोटी, कपड़ा तथा मकान के लिए कार्य करते थे, लेकिन उस समय समाज में कोई आत्महत्या, बलात्कार तथा लूटपाट जैसे अपराध नहीं होते थे । इसका प्रमुख कारण था कि प्रारंभिक काल में शिक्षालयों में बालक को बाल्यावस्था से भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शिक्षा संतुलित रूप से मिलती थी । उस समय मानव जीवन सुन्दर एवं सुखी था ।

यदि बालक को केवल विषयों का भौतिक ज्ञान दिया जाए और उसके सामाजिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में कमी कर दी जाए तो उससे बालक असंतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित हो जाएगा । इस प्रकार की शिक्षा में पला-बढ़ा बालक अपने परिवार एवं समाज को अच्छा बनाने के बजाय उसे और भी अधिक असुरक्षित एवं असभ्य बनाने का कारण बन जाता है । अतः प्राचीनकाल के शिक्षालयों से प्रेरणा लेकर आज के आधुनिक विद्यालयों को भी प्रत्येक बच्चे को बाल्यावस्था से ही सर्वश्रेष्ठ भौतिक शिक्षा के साथ ही साथ उसे सामाजिक तथा आध्यात्मिक अर्थात संतुलित शिक्षा देकर उसे ईश्वर का उपहार एवं मानवजाति का गौरव बनाना चाहिए ।

1850 ई० से 1950 ई० तक लगभग 100 वर्षों के बीच सारे विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई । विश्व के सभी देशों के बीच अपना-अपना सामान अधिक से अधिक बेचकर लाभ कमाने की अत्यधिक होड़ बढ़ने लगी । उस दौड़ में शिक्षा एवं शिक्षालय भी डूब गये । शिक्षालय केवल कमाई के योग्य व्यक्ति बनाने के टकसाल बन गये । इसके पूर्व शिक्षालयों की चिंता होती थी कि बच्चे कैसे अच्छे इन्सान बने ? यह बात नालंदा, तक्षशिला, शांति-निकेतन में देखी जाती थी । वर्तमान समय में अच्छे रिजल्ट बनाने की होड़ को कम नहीं किया जा सकता । इस हेतु बालक को अपने सभी विषयों का संसार का उत्कृष्ट भौतिक ज्ञान मिलना चाहिए । किंतु इसके साथ ही साथ उसके चरित्र का निर्माण तथा उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम भी उत्पन्न करना होगा तभी हम प्रत्येक बालक को एक अच्छा इन्सान भी बना पाएंगे ।

यदि हमें धरती पर शैतानी सभ्यता की जगह आध्यात्मिक सभ्यता स्थापित करनी है तो इसके लिए शिक्षा के द्वारा तीन क्षेत्रों को तराशना होगा । पहला क्षेत्र इस युग के अनुरूप 'शिक्षा' होनी चाहिए (अर्थात शिक्षा केवल भौतिक नहीं वरन भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों की संतुलित शिक्षा), दूसरा क्षेत्र धर्म का अर्थ साधारणतया समझा जाता है कि मेरा धर्म, तेरा धर्म, उसका धर्म । धर्म का अर्थ–ईश्वर एक है, धर्म एक है तथा मानव जाति एक है । तीसरा क्षेत्र सारे विश्व में क़ानूनविहीनता बढ़ रही है । बच्चों को बचपन से क़ानून पालक तथा न्यायप्रिय बनने की सीख देनी चाहिए । हम सब क़ानून को तोड़ने वाले बनते जा रहे हैं । समाज को व्यवस्थित देखना है तो क़ानून का पालन होना चाहिए । सामाजिक शिक्षा के द्वारा बालक में परिवार तथा समाज के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए । बच्चों को ऊंच-नीच तथा जात-पात के बंधन से बचाना चाहिए ।

डॉ० जगदीश गांधी
संस्थापक, सिटी मोंटेसरी स्कूल,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

प्रकृति से छेड़छाड़

सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की धारा 377 को यथावत रखने के निर्देश का स्वागत किया जाना ज़रूरी है । परंतु जिस प्रकार इंगलिश मीडियम तथा उससे प्रभावित मर्ज़ी का मालिक उच्च मध्यम वर्ग इस फ़ैसले पर उंगलियां उठा कर इसे मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता का हनन तथा विज्ञान व तर्क के विपरीत बता रहा है वह अत्यंत आपत्तिजनक एवं

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

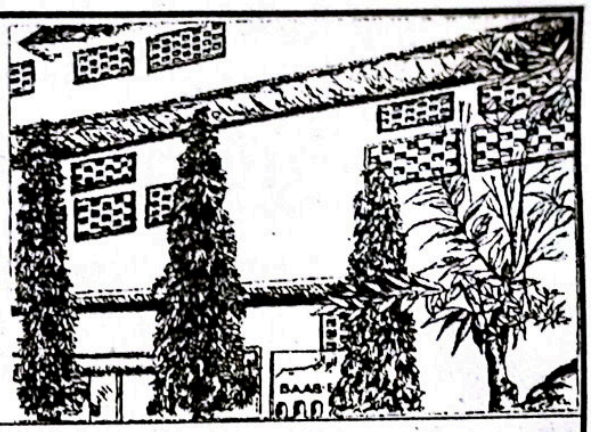

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

● 27 वर्षीय सेवाएं ● 19 विभाग ● शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● पत्राचार शिक्षा I.A., B.A. एवं Library Science ● 9 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा ● वोकेशनल सेन्टर ● कटिंग और सिलाई: 8 बैच 88 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 5 बैच 53 छात्राएं ● 1993 ई॰ से 2013 ई॰ तक 71 अनाथ बच्चियों और 51 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● वार्षिक ख़र्च : 24 लाख रुपये से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है–आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,00,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना ● यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । ● इदारा में खुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चंन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM or IFS Code No. UBIN 0530042

Union Bank of India (Main Branch, GAYA में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONORS मक़ामी चन्दा देने वाले

CORE BANKING A/c No. : 300402010007752

BANK IFS CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

गुमराह करने वाला है । धारा 377 को हटाने का मतलब मूल अधिकारों का हनन कैसे है ? समलैंगिकता का अधिकार कहां लिखा है ? जब कोई अधिकार है ही नहीं तो उसके हनन का क्या मतलब है ?

यह कृत्य प्रत्येक दृष्टिकोण से जुर्म तथा अप्राकृतिक है । मनुष्य स्वतंत्र है परंतु यह निरंकुश नहीं है । आपसी मर्ज़ी से दो लोग रिश्वत ले दे सकते हैं क्या ? भ्रूण लिंग परीक्षण करा सकते हैं क्या ? दो लोग आपसी मर्ज़ी से आत्महत्या कर सकते हैं ? आपसी मर्ज़ी से बाल विवाह हो सकता है क्या ? साबित हुआ कि केवल आपसी मर्ज़ी की स्वतंत्रता ही मात्र कारण किसी कृत्य के क़ानूनी या ग़ैर-क़ानूनी होने का नहीं है । तर्क या विज्ञान की बात करें तो यह कुकृत्य किसी भी प्रकार से तर्क अथवा [redacted] की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता । तर्क की बात यह है कि समलैंगिकता मानव इतिहास में कभी भी सामान्य, प्राकृतिक नहीं माना गया । जैसे बलात्कार, अग़वा, चोरी, क़त्ल सदैव से चली आ रही है परंतु इन्हें कोई सामान्य नहीं मानता किसी भी समाज में इन्हें हमेशा स्वाभाविक नहीं माना गया ।

संतानोतपत्ति भी मनुष्य की मूल आवश्यकता है । वरना समूची मानवजाति ही लुप्त हो जाएगी परंतु यह समलैंगिकता से संभव ही नहीं है । जब कृत्रिम साधनों से यौन क्रिया की जाएगी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं सामान्य, प्राकृतिक यौन क्रिया की तुलना में बहुत बढ़ जाएंगी । जैसा कि आज हम एड्स के संबंध में देख रहे हैं । नेशनल एड्स कंट्रोल एसोसिएशन तथा वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइज़ेशन दोनों के आंकड़े देख लें सब ज़ाहिर हो जाएगा कि समलैंगिकों में एड्स दूसरों की तुलना में अधिक है । इसके अतिरिक्त यौन संबंधित रोगों गोनोरिया, सिफ़लिस की आशंका भी समलैंगिकों में अधिक होती है । याद रहे कि समूचे अफ़्रीका में एड्स पर क़ाबू पाने में विवाह के बाहर यौन संबंध से परहेज़ तथा [illegible] का बड़ा योगदान रहा है । डब्ल्यू०एच०ओ० की साइट पर इसको देखा जा सकता है । स्वयं कश्मीर में एड्स के कंट्रोल के लिए धार्मिक गुरुओं का सहारा लिया गया ।

इसी प्रकार अगर केवल [illegible] के तौर पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ स्वतंत्रता व आधुनिकता के नाम पर जारी रही तो मानवजाति जो पहले ही पर्यावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रकोप झेल रही है वह और भी अधिक संकट ग्रस्त हो जाएगी । आधुनिकता के चैंपियनों ने दुनिया को पहले भी बहुत प्रताड़ित किया है, इस बेकार की ज़िद से वह मानव मात्र का अस्तित्व ही दांव पर लगाना चाहते हैं । भारत के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों को इस संकट में फंसने से बचने के लिए अपना योगदान देना चाहिए ।

डॉ० एम० अजमल
गांधी रोड, देहरादून

भाईचारा

मेरा 'कान्ति' से, इस्लामिक पुस्तकों से और क़ुरआन से लगभग 9-10 साल से संबंध है, मैं मस्जिद में भी जाता हूं और मुस्लिम भाईचारा सभा में भी जाता हूं । क़ुरआन और इस्लाम अमूल्य है, अद्वितीय है, धरती से आकाश तक और उत्तरी ध्रूव से दक्षिणी ध्रूव तक इस्लाम एक ही है । किंतु मैंने यह देखा है कि आम भारतीय मुसलमान अज्ञानी है, उन्हें इस्लाम का नहीं हिन्दूवाद का रंग लगा हुआ है, वे अज्ञानी मुसलमान हिन्दुओं की तरह जातिवाद की बातें करते हैं, ऊंची-नीची जाति की बातें करते हैं । हिन्दुओं की ही तरह जातिगत व्यवहार भी करते हैं । ऐसे अज्ञानी मुसलमानों को विशेष दीक्षा की ज़रूरत है ।

हिन्दू-मुस्लिम एकता तो दूर की बात है हिन्दुओं में चार वर्णों के लोग एक साथ नहीं बैठ सकते । आज तक हिन्दू मुस्लिम एकता होती रही है कि प्रथम श्रेणी का हिन्दू ईद के दिन किसी मुसलमान एम०पी०, एम०एल०ए० या मुस्लिम सेठ के घर मुर्ग़ा या खीर खाने के लिए आ जाता है किंतु किसी ग़रीब तबक़े का मुसलमान किसी ग़रीब तबक़े के हिन्दू के घर दुख-सुख में शामिल नहीं होता ।

जब तक ग़रीब तबक़ा का मुसलमान ग़रीब तबक़े के हिन्दू से सामाजिक भाईचारा नहीं बनाएगा तब तक हिन्दू-मुस्लिम एकता नहीं हो सकती ।

बिरेन्द्र कुमार
कौशाम्बी, ग़ाज़ियाबाद (यू०पी०)

जलाशयों की रक्षा

जल के अभाव में न तो कोई सभ्यता पनप सकती है, न विकास हो सकता है । जल ही जीवन का मूलभूत आधार है । जल द्वारा ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पोषण होता है और जीवन का विस्तार होता है । किसी भी प्राणी के शरीर का बहुत बड़ा प्रतिशत जल ही होता है । शरीर की समग्र रासायनिक क्रियाएं जल-माध्यम में ही संपन्न होती

है । जल वस्तुत: प्राण का आधारभूत तत्व है । विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं नदियों की गोद में ही विकसित हुई । कालांतर में मनुष्य जाति ने जल-संसाधनों के समुचित व वर्षांत उपयोग के तरीक़े इज़ाद किये । कुंए, बावडियां, ताल, तालाब, सरोवर झीलें तथा आधुनिक युग के विशालमय बहुउद्देशीय बांध मनुष्य के इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है ।

अत: हमारा दायित्व है कि हम इन सभी जलाशयों की रक्षा करें । प्रत्येक राज्य जलाशय संरक्षण का गठन कर जलाशयों की भूमि के ग़ैर-क़ानूनी अधिग्रहण, जलाशयों के प्रदूषण तथा उसके विनाश की प्रक्रिया पर रोक लगाए । जलाशयों के पुनर्नवीकरण की व्यवस्था करें । हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित जलाशय हमारी पारंपरिक साझी संपत्ति है । इनका विनाश हमारी परंपरागत अर्थव्यवस्था व पर्यावरण व्यवस्था का विनाश है । अत: हर क़ीमत पर राष्ट्र भर के जलाशयों का संरक्षण, पुनर्नवीकरण व महत्व-मापन होना चाहिए ।

डॉ॰ किशोरी लाल व्यास
रत्ना रेजीडेंसी, महेश्वरी नगर,
हब्शीगुड़ा, हैदराबाद-500007

इस्लाम विरोधी नहीं थे शिवाजी

यद्यपि शिवाजी पक्के हिन्दू थे, किन्तु वे मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे । उनके मन में इस्लाम, क़ुरआन, मस्जिदों, सूफ़ी-संतों के लिए आदर-भाव था । जाने-माने इतिहासकार वी॰एन॰ पांडेय ने अपनी पुस्तक "शिवाजी और उनका शासनकाल" में लिखा है कि–शिवाजी औरंगज़ेब के विरुद्ध लड़े किन्तु उसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि कारण थे, वे मुसलमानों या इस्लाम के विरोधी नहीं थे ।

डॉ॰ पांडेय ने अपनी पुस्तक में शिवाजी के मुस्लिम दोस्तों और विश्वासपात्र लोगों की एक सूची भी प्रस्तुत की है । शिवाजी अपने अंगरक्षक सिंधी इबराहीम पर बहुत भरोसा करते थे, जिसने उनकी जान बचायी थी । शिवाजी की सेना का सेनापति सिंधी हिलाल था इसके ही नेतृत्व में सेना ने मुग़ल सेनापति बहलोल ख़ां का मुक़ाबला किया था ।

डॉ॰ वी॰एन॰ पांडेय ने शिवाजी द्वारा औरंगज़ेब को लिखा एक पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें लिखा है, "वास्तव में इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों ही मानवता का सुन्दर घोषणा पत्र है । नमाज़ के लिए बुलाने हेतु मस्जिदों में अज़ान दी जाती है तो मंदिर में घनटियां बजायी जाती हैं । कोई भी जो मतांधता और धार्मिक तौर पर नफ़रत फैलाता है उसे ईश्वरीय आदेश के ख़िलाफ़ माना जाना चाहिए ।" उपरोक्त कथन यह साबित करता है कि शिवाजी मूलत: असाम्प्रदायिक थे और सभी धर्मों का आदर करते थे । मैं शिव सैनिक भाइयों से कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजीं की तरह वे भी धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं ।

हसनैन कैफ़
मीडिया वॉच, भंडारा, महाराष्ट्र

अतुलनीय संपादन

विश्वास है कि स्वस्थ और सानंद होंगे । 'कान्ति' समय से मिल रही है । आभारी हूं । निष्पक्ष और समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए सहजभाव से निकलने वाली इस पत्रिका का हमेशा इन्तिज़ार रहता है । आपका संपादन अतुलनीय और सहज भी है ।

कामना करूंगा कि आपका संपादन और पत्रिका यूं ही बनी रहे ।

डॉ॰ पूरन सिंह
वेस्ट पटेल नगर, नयी दिल्ली-110008

'कान्ति'

कितनी अच्छी यह 'कान्ति', ज्ञान को बढ़ाती है
पढ़ने से हमें, नयी शिक्षा मिल पाती है
देश-विदेश की बातों से अवगत यह कराती है
जग के सारे मनुष्य को समान यह बताती है
कितनी अच्छी यह 'कान्ति', ज्ञान को बढ़ाती है ।
यह 'कान्ति' मानव के मस्तिष्क में,
गागर में सागर भर नया अलख जगाती है
इस्लामिया साहित्य पुस्तकालय के सौजन्य से,
यह पत्रिका मुझे मुफ़्त में मिल जाती है
कितनी अच्छी यह 'कान्ति', ज्ञान को बढ़ाती है ।
यह पत्रिका मनुष्य का उज्ज्वल भविष्य बनाती है
ज्ञानों के अनुपम नूर को चहूं ओर फैलाती है
'कान्ति' का सभी अंक मेरे दिल को भाता है
कितनी अच्छी यह 'कान्ति', ज्ञान को बढ़ाती है ।

हेमंत कुमार (शिक्षक)
सर्वोदय शिशु शिक्षा निकेतन,
धनगड़हां (सारण) बिहार

लोकपाल से अपेक्षा

लोकपाल बिल 2013 संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है । आगामी लोकसभा चुनाव 2014 के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस-भाजपा ने जिस चातुर्यता से बिल पास करने में सहयोग किया वह प्रशंसनीय नहीं, मौक़ापरस्त अवसरवादिता ही कहा जाएगा । स०पा० इसके विरोध में रही ।

लोकपाल बिल अन्ना के श्रेय से पास हुआ, अभी राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाक़ी है । लोकपाल बिल को पास करने में 46 वर्ष लग गये । सभी सरकारों ने इसे सरकाने का प्रयास इसलिए किया कि इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, सांसद-विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी विभाग, नौकरशाह, अधिकारी वर्ग सभी पर भ्रष्टाचार-रिश्वत में जांच पश्चात दंड के प्रावधान हैं । इस विधेयक को पास कर देने पर भला कौन अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारेगा । इसलिए यदि चुनाव न होते तो यह विधेयक कभी भी पास न होता ।

कहने को तो यह बिल भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बनाया गया है लेकिन जब तक इसे साहस व ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा इसमें विशिष्ट माननीयों को सुरक्षा कवच संविधान के अनुच्छेद 105 से संशोधन नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना असंभव है, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है ।

आम जनता के लिए इसमें अभी कोई सरकारी सेवाओं की जवाबदेही समय-सीमा, भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों की गोपनीयता, क़ानूनी संरक्षण मिलने जैसा कोई क़ानून नहीं । राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति, ऐसी औरभी समस्याएं हैं ।

कहने को तो लोकपाल का प्रारूप इस प्रकार बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार इसके नाम से ही छू मंतर हो जाएगा, अपितु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज तक जितने भी क़ानून बने हैं सभी का हश्र एक है, सभी केवल किताबों की शोभा बने हैं, फिर किसकी हिम्मत होगी जो विशिष्ट लोगों को जांच के दायरे में लाकर सज़ा दिलाएगा । वैसे भी सी०बी०आई० सी०वी०सी० जैसी जांच संस्थाएं ही जब विशेष कुछ नहीं कर पातीं, तब नवगठित जांच एजेंसियों से कैसे अपेक्षा की जाए ? इसलिए आम जनता ज़्यादा खुश न हो, रहेंगे ढाक के तीन पात ही ।

शशिप्रभा शर्मा

पन्नापुरी, हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101

सद्भाव

साम्प्रदायिक सद्भाव की वैचारिक पत्रिका 'कान्ति' नियमित रूप से पढ़ने को मिल रही है । इसके कुशल संपादन और सुन्दर प्रकाशन के लिए बधायी स्वीकार करें । इसमें प्रकाशित सभी लेख पठनीय, मननीय ओर संग्रहणीय होते हैं ।

यद्यपि सभी विचारों से सभी लोगों का सहमत होना आवश्यक नहीं होता, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ लेते हुए लेखक को अपनी बात कहने का अधिकार तो होता ही है । आप उन्हें यथावत प्रकाशित करते हैं, यह साहसिक कार्य है । आज भी भारत में अधिकांश नागरिक साम्प्रदायिक सद्भाव के ही हामी हैं । आपकी पत्रिका इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रही है ।

डॉ० हरिसिंह पाल

इन्दिरा पार्क, नयी दिल्ली

सुझाव

'कान्ति' मासिक पत्रिका को मैं नियमित रूप से पढ़ रही हूं । मैं एक स्कूल में अध्यापिका हूं और काफ़ी व्यस्तता के बावजूद मैं इसे अवश्य पढ़ती हूं । इसका कारण यह है कि इससे मुझे बहुत-सी जानकारियां मिलती हैं । हिन्दी भाषा की पत्रिका में 'कान्ति' उर्दू शब्दों का प्रयोग कठिनाई पैदा करती है । अच्छा हो अगर कोष्ठक में अर्थ भी डाल दिये जाएं ।

अर्चना कुमारी

राम दीघड़ा, रोहतास, बिहार-821312

कुछ और न देना

प्रभु ! यह अहं नहीं
विनय है मेरे अंतर का
कुछ और न देना
इतना अधिक दिया है ।
पहले मैं सीखू
जग-हित के लिए
मिले को देना ।
जब सब कुछ बांट मुक्त हो जाऊं
मुझको अपने सानिध्य कर लेना ।

प्रेम मोहन लखोटिया

जयपुर (राज०)

हमारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें

इस्लाम एक सामान्य परिचय	—शैख़ अली तंतावी	90.00
इस्लाम एक स्वयंसिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था	—राजेन्द्र नारायण लाल	25.00
प्यारे नबी की पाक ज़िन्दगी	—एजाज़ुल हक़ क़ुद्दूसी	30.00
इतिहास के साथ यह अन्याय	—बी॰ एन॰ पाण्डे	7.00
मेरे दावती तजुर्बात (प्रथम)	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	25.00
ग़लत फ़हमियों का निवारण	—डॉ॰ ज़ाकिर नाइक	25.00
क़ुरआन और हम मुसलमान	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
क़ुरआन का पैग़ाम	—ख़ुर्रम मुराद	10.00
क़ुरआन पर अनुचित आक्षेप	—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	15.00
हमें ख़ुदा कैसे मिला?	—अब्दुल ग़नी फ़ारूक़	100.00
इस्लाम आतंक या आदर्श?	—स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	40.00
इस्लाम और इनसान (1-6)	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	84.00
दलित समस्या जड़ में कौन?	—इन्तिज़ार नईम	140.00
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) और भारतीय धर्म-ग्रंथ	—डॉ॰ एम॰ ए॰ श्रीवास्तव	18.00
इस्लामी सभ्यता	—मुंशी प्रेम चन्द्र	5.00
क़ुरआन पुकारता है "ऐ लोगो..."	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
आधुनिक नारी	—नुज़हत यासमीन	10.00
इस्लाम एक मात्र रास्ता	—मुहम्मद ज़ैनुल आबिदीन मंसूरी	12.00
शैतानी धोखे के विभिन्न रूप	—डॉ॰ सैयद शाहिद अली	40.00

हमारी सभी पुस्तकें मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी पब्लिशर्स से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

MADHUR SANDESH SANGAM

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025

E-mail : madhursandeshsangam@yahoo.co.in, Ph. : 9212356332

सेक्यूलर नहीं थे सरदार पटेल

आज कुछ कांग्रेसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सेक्यूलर साबित कर रहे हैं। अंग्रेज़ी के मशहूर कॉलम राइटर कुलदीप नैयर ने भी अपने ताज़े लेख में सरदार पटेल को सेक्यूलर कहा है, जो बिल्कुल ग़लत है। इतिहास इसका खंडन करता है। गांधी जी की हत्या के बाद आर०एस०एस० पर पाबन्दी लगाने से पटेल सेक्यूलर नहीं हो गये थे।

केन्द्रीय परिषद और देश के अधिकांश नागरिकों की यही मांग थी कि पाबन्दी लगायी जाए। उस समय पटेल पर यह आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने गांधीजी की सुरक्षा की मुनासिब व्यवस्था नहीं की। इसी दबाव में पटेल ने आर०एस०एस० पर पाबन्दी लगायी थी। कुछ दिनों के बाद यह पाबन्दी हटा ली गयी थी।

हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी ने एक किताब का हवाला देते हुए कहा है कि हैदराबाद की रियासत पर पुलिस एक्शन (जो वास्तव में सैनिक हमला था) के बारे में नेहरू और पटेल में मतभेद था। नेहरू सैनिक कार्रवाई के ख़िलाफ़ थे लेकिन पटेल सैनिक कार्रवाई के 'ज़बरदस्त' समर्थक थे। पटेल गुस्से में सदन से वाक आऊट कर गये थे। कांग्रेस द्वारा गठित सुन्दर लाल जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 27 हज़ार से लेकर 40 हज़ार मुसलमान तक मारे गये थे।

सरदार पटेल अपनी साम्प्रदायिक मानसिकता के कारण संघ परिवार के हीरो हैं। संघ परिवार को उन पर गर्व है और उन्हें हिन्दुत्व का समर्थक क़रार देता है। कांग्रेस में एक गुट हमेशा से ही साम्प्रदायिक रहा है। उस गुट में सरदार पटेल के अलावा डॉ० खेर, डॉ० मुंजे, के०एम० मुंशी, विपिन चन्द पाल, मदन मोहन मालविया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाला लाजपत राय और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि लोग शामिल थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "इंडिया वींस फ्रीडम" में इसका खुलासा किया है।

मौलाना आज़ाद अपनी पुस्तक में आगे लिखते हैं : "दिल्ली में मुसलमानों पर जो रोज़ाना हमले हो रहे थे उसका औचित्य सरदार पटेल ने कुछ इस तरह बताया था–'दिल्ली में मुसलमानों के घरों से पुलिस ने ख़तरनाक हथियार बरामद किये हैं। मुसलमानों ने ये हथियार हिन्दुओं और सिखों की हत्या के लिए जमा किये थे। यदि हिन्दुओं और सिखों ने हमला करने में पहल न की होती तो मुसलमान उनको क़त्ल कर डालते।"

फिर पटेल ने मौलाना आज़ाद और लार्ड माउंट बेटन सहित अन्य कांग्रेसियों को उन हथियारों का नीरिक्षण करवाया। हथियारों को गवर्नमेंट हाउस के एक कमरे में रख दिया गया था। जो हथियार वहां रखे थे उनमें दर्जनों किचन के चाक़ू, जेब चाक़ू, पेन चाक़ू, कुछ के हैंडिल लगे थे, कुछ के हैंडिल नहीं थे, ज़ंग लगी मेंखें और कीलें, जंग लगी सलाख़ें, नल–पाइपों के टुकड़े आदि।

इस अवसर पर लॉर्ड माउंट बेटन ने जंग लगे दो चाकुओं को हाथ में उठाकर मुस्कराते हुए कहा था कि जो लोग इस मवाद से दिल्ली पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं, उनके बुद्धि और विवेक पर हमें हंसी आती है।

बहरहाल 1947 में दिल्ली में मुसलमानों का पटेल के नेतृत्व में जैसा नरसंहार हुआ था, उसी का दूसरा संस्करण 2002 में मोदी के नेतृत्व में गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार के रूप में हुआ। इसलिए सरदार पटेल को सेक्यूलर मानना एक बहुत बड़ी भूल है।

■ **जी० कैफ़ नौगांवी**
भंडारा (महाराष्ट्र)

लेखकों एवं रचनाकारों से

"कान्ति" में प्रकाशनार्थ जो रचनाएं हमें मिलती हैं, उनकी स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना अथवा रचनाओं की वापसी के लिए अपना पता लिखा लिफ़ाफ़ा डाक टिकट सहित अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचनाओं के विषय में हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं। ध्यान रहे कि पर्याप्त डाक टिकट लगाकर प्रकाशनार्थ सामग्री भेजें, ताकि डाक, बैरंग न हो। आशा है, आपका सहयोग मिलता रहेगा। **–संपादक**

मुनअम पब्लिक स्कूल

(सी०बी०एस०ई०, दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त, 10+2, ईंग्लिश मिडियम विद्यालय)
महाराजगंज, पो० दादपुर, जिला हजारीबाग, झारखण्ड।

नामांकण सुचना



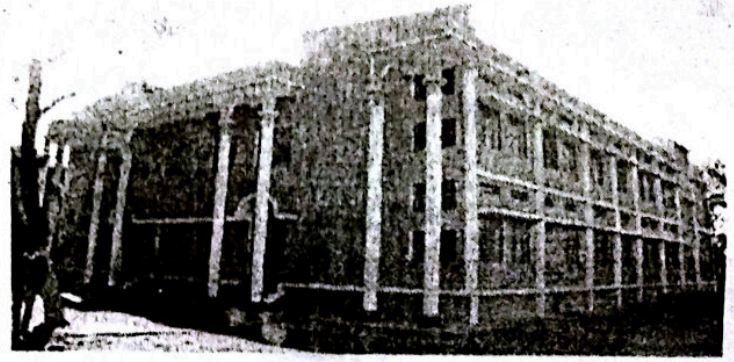

हजारीबाग के प्राकुतिक सौन्दर्य से भरपुर पहाडी क्षेत्र में स्थापित, विशाल कैम्पस में फैला एक अति-आधूनिक शैक्षणिक संस्था जहां छात्र-छात्राओं के लिए माडर्न स्कूल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सफलता का सत्रहवां साल - मुस्लिम लडकीयों के लिए नायाब तोहफा

लडकीयों के लिए 100 बेड का शानदार हॉस्टल

सत्र 2013-2014 के लिए छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं 150/- रू0 अदा कर के फार्म एंव प्रास्पेक्टस स्कूल काउंटर से प्राप्त करें या 175/- रू0 का ड्राफ्ट भेज कर डाक से भी प्राप्त किया जा सकता हैं। विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें -

मो0 09431530878, Website : munammission.org
E-mail-munam_school2000edu@yahoo.com

एस0एम0 नईम
डायरेक्टर
एम0ए0, बी0एड

वकील अहमद
प्रिन्सिपल
बी0एस0सी0, बी0एड

भ्रष्टाचार का कारण और निवारण

■ रोशनलाल अग्रवाल
(वरिष्ठ अर्थशास्त्री)

आजकल भ्रष्टाचार की चर्चा ख़ूब हो रही है । आम हो या ख़ास, हर आदमी इसकी चर्चा कर रहा है । पहले भ्रष्टाचार के दायरे में केवल शासन-प्रशासन के पदों पर बैठे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए अनुचित रूप से रिश्वत लिए जाने को ही भ्रष्टाचार माना जाता था, किन्तु अब इसका अर्थ इनके द्वारा रिश्वत लेकर ग़लत से ग़लत काम कर देना भी भ्रष्टाचार का केन्द्र बिन्दु बन गया है । अब आम जनता में यह धारणा घर कर गयी है कि भ्रष्टाचार के बल पर कोई भी ग़लत से ग़लत काम करवाया जा सकता है, किन्तु इसका सहारा लिए बिना अब सही से सही काम करवाना भी टेढ़ी खीर बन चुका है । इतना ही नहीं अब इसके दायरे में शासन-प्रशासन ही नहीं बल्कि लेन-देन का हर काम आ चुका है । सब जगह नियमों और क़ानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं ।

आम जनता शासन और प्रशासन के स्तर पर होने वाले नियम विरुद्ध और मनमाने आचरण को ही भ्रष्टाचार मानती है, किन्तु वास्तव में यह भ्रष्टाचार का सबसे सतही स्वरूप ही है । एक व्यक्ति के द्वारा नियम-क़ानूनों का उल्लंघन करके किये जाने वाले भ्रष्टाचार की सीमाएं भी बहुत छोटी होती हैं और ऐसा करने वालों के सिर पर अपना भांडा फूट जाने का भय भी उन्हें सताता रहता है । भ्रष्टाचार का सबसे गंभीर और ख़तरनाक स्वरूप जिसे आप भ्रष्टाचार का मूल कारण भी मान सकते हैं, वह ग़लत क़ानूनों में निहित है । हमको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आज हो रहे सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जड़ें हमारी व्यवस्था में ही मौजूद हैं और व्यवस्था का मतलब हमारा संविधान और उसके आधार पर बनाये गये अनेक नियम और क़ानून हैं ।

स्वाभाविक है कि इससे हर आदमी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं । विशेषकर उन लोगों की जो समाज के कमज़ोर वर्ग से आते हैं, क्योंकि उनके पास न तो अपनी कोई ताक़त होती है जिसका भय दिखा कर वे अपना काम करा सकें और न ही रिश्वत के रूप में देने के लिए धन होता है । सबसे अधिक कष्ट की बात उन लोगों के लिए होती है, जो अपने सही काम करवाने के लिए भी दफ़्तरों के चक्कर काटते रहते हैं । अपनी प्रशासनिक अज्ञानता के कारण वे अपने साथ होने वाले अन्याय की शिकायत उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाते । अधिक ख़तरनाक बात है कि अब उस पर भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होती । उलटे कई बार तो बनता काम भी बिगड़ जाता है । मिलीभगत का तंत्र इतना मज़बूत हो गया है कि अपना काम बिगड़ जाने के भय से अब अच्छे-अच्छे लोग भय खाने लगे हैं और येन-केन-प्रकारेण रिश्वत के बल पर अपना काम निकाल लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं ।

सर्वाधिक कष्टदायक स्थिति तो वह होती है जब कोई व्यक्ति अपना सही काम तो बिना रिश्वत दिये नहीं करवा पाता, किन्तु ग़लत काम रिश्वत के बल पर बहुत आसानी से करा लाता है । अब इसकी पीड़ा चारों ओर दिखायी पड़ रही है । इसका परिणाम यह भी हो रहा है कि अब ग़लत काम पहले हो रहे हैं और सही काम बाद में, क्योंकि ग़लत काम करवाने वाला व्यक्ति ज़्यादा रिश्वत देता है । इसलिए यह समस्या दिन-पर-दिन ज़्यादा जटिल और भयानक रूप लेती जा रही है । स्थिति यहां तक बिगड़ गयी है कि अब न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं ।

किन्तु इसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इसके लिए भी आम आदमी को ही दोषी मानते हैं । उनका तर्क है कि हर आदमी अपना काम जल्दी से जल्दी करवाना चाहता है । इसलिए वह भ्रष्टाचार का सहारा लेता है । यदि वह धैर्यपूर्वक सही प्रक्रिया का सहारा ले, तो अपना काम

बिना भ्रष्टाचार के करवा सकता है । यह तो कुतर्क मात्र है । सब जानते हैं कि रिश्वत देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता । उनका ऐसा करना मजबूरी होता है शौक़ नहीं, विशेष कर सही काम को करवाने के लिए । ग़लत काम की तो बात ही अलग है ।

आम जनता शासन और प्रशासन के स्तर पर होने वाले नियम विरुद्ध और मनमाने आचरण को ही भ्रष्टाचार मानती है, किन्तु वास्तव में यह भ्रष्टाचार का सबसे सतही स्वरूप ही है । एक व्यक्ति के द्वारा नियम-क़ानूनों का उल्लंघन करके किये जाने वाले भ्रष्टाचार की सीमाएं भी बहुत छोटी होती हैं और ऐसा करने वालों के सिर पर अपना भांडा फूट जाने का भय भी उन्हें सताता रहता है ।

भ्रष्टाचार का सबसे गंभीर और ख़तरनाक स्वरूप जिसे आप भ्रष्टाचार का मूल कारण भी मान सकते हैं, वह ग़लत क़ानूनों में निहित है । हमको यह बात स्वीकार करनी होगी कि आज हो रहे सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जड़ें हमारी व्यवस्था में ही मौजूद हैं और व्यवस्था का मतलब हमारा संविधान और उसके आधार पर बनाये गये अनेक नियम और क़ानून हैं ।

इन नियमों के परिपालन की ज़िम्मेदारी शासन और प्रशासन के शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों की ही होती है और जब वे इनका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रष्टाचार होता है । यदि ऊपर के पदों पर बैठे व्यक्ति ग़लत न करें तो नीचे के लोग ग़लत कर ही नहीं सकते । इसलिए भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, न कि नीचे से ऊपर की ओर ।

इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी व्यवस्था में कोई मूलभूत दोष है जो सत्ता या प्रशासन के उच्चतम पदों पर बैठे लोगों पर सही प्रकार से अंकुश नहीं लगा पा रहा है । यह बात भी स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार से उच्चाधिकार सम्पन्न व्यक्ति ही लाभांवित होता है । सामान्य आदमी तो उसके द्वारा प्रताड़ित है । इसलिए भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए हमें मूलरूप से उन नियमों और क़ानूनों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो वास्तव में इसके लिए उत्तरदायी हैं । निचले स्तर पर होने वाले छोटे-बड़े भ्रष्टाचार तो उनके ही गौण प्रभाव मात्र हैं ।

यूं तो भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु इसका सबसे बड़ा कारण गोपनीयता संबंधी क़ानून हैं । व्यवस्था का संबंध मुख्य रूप से सत्ता और अर्थव्यवस्था से होता है । इन दोनों के व्यवहार जितना अधिक पारदर्शी होगा, व्यवस्था उतनी ही अधिक साफ़-सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी । इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता समाज में विकृतियां उत्पन्न करेगी ।

हमारे देश में सत्ता और आर्थिक नियमों और क़ानूनों में इतनी अधिक गोपनीयता है कि इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं । आर०टी०आई० का क़ानून आने के बाद शासन-प्रशासन की गोपनीयता में तो कुछ सुधार आया है किन्तु विशेष प्रावधान करके आर्थिक मामलों की गोपनीयता अभी-भी ज्यों की त्यों बनी हुई है । हमारे देश में चल रहे अनेक आर्थिक नियम और क़ानून कितने अन्यायपूर्ण और ग़लत हैं, इसकी कल्पना भी आम आदमी को नहीं है । इनमें न्याय, नैतिकता, उचित, अनुचित या तर्क का कोई स्थान नहीं है । सही कहा जाए तो आर्थिक नियमों और क़ानूनों को ठीक किये बिना शासन और प्रशासन को ठीक करने की बात सोचना बौद्धिक दिवालियापन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।

अत: जो लोग देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं उन्हें इसके छोटे-मोटे और सतही मामलों पर अपना समय नष्ट करने की बजाय इसके मूल कारणों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । हमारी व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी इसकी गोपनीयता है जो हर आदमी को झूठ बोलने और ग़लत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और व्यावहारिक दृष्टि से इसका लाभ सत्ता-सम्पन्न, धन-सम्पन्न, बुद्धि-सम्पन्न और बल-सम्पन्न लोग उठाते हैं ! सीधा-सादा, सरल और हर प्रकार से कमज़ोर आदमी इसका शिकार होता है ।

किसी सच्चे लोकतंत्र में तो गोपनीयता के लिए कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए । क्योंकि लोकतंत्र, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से ही बनायी गयी व्यवस्था होती है । किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के असली मालिक उसके सारे नागरिक ही होते हैं और देश के सभी नागरिकों के मूलभूत राजनैतिक और आर्थिक अधिकार बराबर होते हैं जो हर व्यक्ति को उस देश में पैदा होने पर स्वत: ही मिल जाते हैं । अत: इनका संबंध किसी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता या पुरुषार्थ से नहीं जोड़ा जा सकता और न ही इनके आधार पर किसी व्यक्ति के इन मूलभूत

अधिकारों को कम या ज़्यादा किया जा सकता । कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को क्षति पहुंचाए बिना अपनी योग्यता, क्षमता या कर्मठता के द्वारा विशेषाधिकार पाने के लिए स्वतंत्र होता है । चूंकि देश के नागरिक ही देश की सम्पूर्ण सत्ता और सम्पत्ति के मूल मालिक होते हैं, इसलिए शासन-प्रशासन और आर्थिक नियमों में किसी भी प्रकार की गोपनीयता, लोकतंत्र की अवधारणा और भावना के विपरीत है ।

अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमें अपनी शुरुआत कहां से करनी चाहिए । इसका उत्तर है कि निजी सम्पत्ति की गोपनीयता संबंधी क़ानूनों से । जानने का अधिकार क़ानून आने के बाद सत्ता में बैठे लोगों पर तो कुछ लगाम लगी है, अर्थिक गोपनीयता में कुछ सुधार न होने के कारण बड़े-बड़े पूंजीपतियों की चांदी हो गयी है । वे अब पहले से भी अधिक बढ़-चढ़कर मनमानी कर रहे हैं । यह क़ानून आने के पहले सत्ताधीशों और पूंजीपतियों में निरन्तर होते रहने वाले मुक़ाबलों में दोनों पक्ष बराबर रहते थे और इसीलिए एक-दूसरे से डरते भी थे । किन्तु अब ऐसा नहीं है । अब कोई भी पूंजीपति आर०टी०आई० के बल पर सत्ता में बैठे लोगों को आसानी से ब्लैकमेल कर सकता है और अपना ग़लत काम करने के लिए मजबूर कर सकता है । किन्तु सम्पत्ति की गोपनीयता और अन्य ग़लत क़ानूनों के चलते वह स्वयं पूरी तरह सुरक्षित है ।

अत: यह जानना ज़रूरी है कि सम्पत्ति की गोपनीयता के क़ानून देश में क्या गुल खिला रहे हैं । यह क़ानून है कि देश के हर नागरिक को एक सीमा से अधिक आय या सम्पत्ति होने पर उसे अपनी आय व सम्पत्ति की सम्पूर्ण जानकारी भारत सरकार को देनी चाहिए । यह जानकारी सच्ची होनी चाहिए, अर्थात इसमें न केवल पूरा सही विवरण होना चाहिए बल्कि उसका सही वर्तमान मूल्य भी दर्शाया जाना चाहिए ।

आज हालत यह है कि क़ानून के दायरे में आने वाले अधिकांश लोग यह विवरण देते ही नहीं हैं और जो देते हैं वे सबके सब झूठा ही देते हैं, अर्थात इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभाध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सभी झूठा विवरण दे रहे हैं । इन्होंने समर्थ होते हुए भी झूठे और अन्यायपूर्ण क़ानूनों को बनाए रखा है जिसका ग़लत लाभ शासन-प्रशासन, उद्योग, व्यापार, सेवा, कृषि या अन्य सभी प्रकार के समर्थ और सम्पन्न लोग उठा रहे हैं । अत: देश रूपी खेत को इसकी बाड़ ही खा रही है । अत: भ्रष्टाचार का अस्ली कारण आर्थिक गोपनीयता और इनके मूल्यांकन संबंधी झूठे क़ानून हैं जिन्हें न्यायहित में तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए ।

अत: देश में न्यायपूर्ण, भय-मुक्त, अभाव-मुक्त और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था की स्थापना के लिए निम्न क़ानूनी सुधार होने चाहिए–

1. एक आदमी के मूलभूत सम्पत्ति अधिकार को परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि देश के सारे नागरिक देश की सारी सम्पत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के समान रूप से मालिक हैं ।

2. एक नागरिक को न्याय के आधार पर केवल औसत सीमा तक ही सम्पत्ति रखने का मूलभूत अधिकार होना चाहिए क्योंकि इससे अधिक का अधिकार देने पर किसी अन्य नागरिक के मूलभूत सम्पत्ति अधिकार का हनन होगा । अत: असीमित सम्पत्ति अधिकार पूरी तरह अन्यायपूर्ण और ग़लत है ।

3. इस आधार पर एक अमीरी रेखा बनायी जानी चाहिए और उससे अधिक सम्पत्ति के लिए व्यक्ति को उसका मालिक न मानकर उसका ट्रस्टी या क़र्ज़दार माना जाना चाहिए ।

4. इसलिए अमीरी रेखा से ऊपर की सम्पत्ति पर ब्याज की दर से कर लगाया जाना चाहिए । आयकर सहित अन्य सभी करों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए । ये सभी तर्कहीन और अन्यायपूर्ण हैं ।

5. सम्पत्ति कर से प्राप्त आय में से सरकार का बजट ख़र्च काट कर शेष राशि देश के सारे नागरिकों में लाभांश के रूप में बराबर-बराबर बांट दी जानी चाहिए ।

आज चूंकि देश की कुल सम्पत्ति का 75 प्रतिशत भाग मात्र 12 लाख लोगों के पास है इसलिए मात्र इन्हीं की सम्पत्ति पर टैक्स लगाकर लगभग 200 लाख करोड़ रुपये की आय हो सकती है जिससे हर आदमी को लाभांश के रूप में हर आदमी को दस हज़ार रुपये हर माह निरन्तर प्रदान किये जा सकते हैं । इससे देश को अन्यायपूर्ण आर्थिक असमानता, ग़रीबी, बेरोज़गारी, शोषण और सभी प्रकार के अन्याय व भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलायी जा सकती है ।

मकतबा अलफहीम मऊ

की नई हिंदी इस्लामी पुस्तकें

मुख्तसर तफसीर अहसनुल बयान	450/=	सुन्नत के मसाइल इकबाल कीलानी	80/=
बुलूगुल मराम	275/=	तौहीद के आंसू	65/=
नबूवत की किरनें मो० सफीउरहमान मो०	275/=	हमारी दावत किताब व सून्नत	40/=
हुकूकुलएबाद सलाहुददीन यूसुफ	55/=	चेहरे का पर्दा मुस्तहब या वाजिब //	20/=
हुकूकुल औलाद सलाहुददीन यूसुफ	50/=	मुहम्मद(स०) हिन्दू किताबों में	65/=
हुकूकुज़्ज़ौजैन सलाहुददीन यूसुफ	32/=	तावीज़ गंडा की हक़ीक़त	25/=
सैय्यदना अबू बक्र सिद्दीक रज़ि:	25/=	और मैं मर गया	32/=
सैय्यदना उमर फारूक रज़ि:	25/=	मसला उर्स और ग्यारहवीं	25/=
सैय्यदना उसमान गनी रज़ि:	25/=	इस्लाम और इमान के अरकान	80/=
सैय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ि:	25/=	किताबुत्तौहीद	75/=
इस्लाम पर ४० एतेराज़ात और उसके जवाबात	80/=	कुरआन की शीतल छाया	85/=
कुरआन और विज्ञान डा. ज़ाकिर नाइक	50/=	अल्लाह और उसके रसूल की पहचान	50/=
इस्लाम और हिन्दू धर्म में समानताएं //	50/=	जादू का इलाज	85/=
क्या कुरआन ईश्वरीय ग्रन्थ है //	60/=	कलमा-ए-तौहीद अर्थ, महत्तव, फज़ीलत	28/=
विशेष धर्मों में ईश्वर की कल्पना //	28/=	इस्लाम एक नज़र में	50/=
इस्लाम में औरतों के अधिकार //	60/=	इस्लाम खालिस क्या है	22/=
इस्लाम आतंकवाद या भाईचारा //	50/=	इस्लामी अक़ीदा	22/=
मांसाहार उचित या अनुचित //	60/=	मुसलमान का अक़ीदा(पाकेट)	12/=
जन्नत का बयान इकबाल कीलानी	120/=	मासूरह दुआएं	30/=
जहन्नम का बयान इकबाल कीलानी	130/=	हिसनुल मुसलिम(उच्चारण सहित)	40/=
नमाज़ के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=	हिसनुल मुसलिम	35/=
तौहीद के मसाइल इकबाल कीलानी	120/=	परदा	35/=

आप घर बैठे किताबें VPP डाक द्वारा मँगा सकते हैं। एकाउंट में रक्म ट्रांस्फर करने पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा किताबें भेजने की सुविधा है।

MAKTABA AL-FAHEEM

Raihan Market, 1st Floor, Dhobia Imli Road
Sadar Chowk, Maunath Bhanjan - (U.P.) 275101
Ph.: (O) 0547-2222013, Mob. 9236761926, 9889123129, 9336010224
Email :faheembooks@gmail.com

हिन्दी पत्रकारिता : गिरता स्तर और बढ़ती दिशाहीनता

■ विद्या प्रकाश

पत्रकार समाज का प्रबुद्ध चिंतनशील प्राणी है, जो समाज का दिशा निदेशक, लोकतांत्रिक मानवीय मूल्यों-मान्यताओं का पताकावाहक, नैतिकता का समर्थक तथा वैज्ञानिक सोच का पक्षधर होता है। वह जाति-पाति, ऊंच-नीच तथा धर्म संप्रदाय की संकीर्णता से ऊपर उठकर लेखनी के माध्यम से समाज के दीनहीन, असहाय तथा दुर्बल अधिकार वंचित जन के इन्साफ़ और अख़्लाक़ी हक़ की हिफ़ाज़त के मक़सद से ताज़िन्दगी जद्दोजहद करता है। देश की स्वाधीनता से पूर्व गणेशशंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी तथा पं॰ बाबूराव विष्णु, अली बंधु, पराड़कर सहित अनेक पत्रकारों ने जनजागृति के लिए पत्रकारिता का आश्रय लिया। उन दिनों अख़बारों की तादाद कम अवश्य थी, मगर उनका समाज पर एक असर ज़रूर था।

स्वातंत्र्योपरान्त देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशमान पत्र-पत्रिकाओं का संख्याभिवर्द्धन हुआ तथा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। विश्वविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फ़ार्मेशन टेक्नोलॉजी) तथा पत्रकारिता का विषय स्वरूप अध्ययन-अध्यापन तथा पठन-पाठन शुरू हो गया। लीथोग्राफ़ी, हैंड कंपोज़िंग, ट्रेडिल, सिलेंडर तथा कम्पोजिटर के स्थान पर कंप्यूटर, ऑफ़सेट तथा कंप्यूटर आपरेटर आ गये तथा मुद्रण प्रक्रिया कंप्यूटराइज़्ड हो गयी। पाठकों में रंगीन पेज का क्रेज बढ़ा तथा मीडिया के समानांतर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ तथा पत्रकारिता का क्षेत्र विस्तार हुआ।

इसके साथ ही पिछले कुछ दशकों में ख़ासतौर से हिन्दी भाषा में मौल्यिक निष्ठा के अभाव में पत्रकारिता के स्तर में अमूमन न केवल गिरावट आयी, बल्कि शुद्ध रूप में व्यावसायीकरण होने लगा। अख़बार के नाम पर तिजारत, ब्लैक मेलिंग तथा पीत-पत्रकारिता की जाने लगी। एक तो व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के इस दौर में अख़बार का सर्कुलेशन बढ़ाने के चक्कर तथा व्यामोह में फ़िल्मी अभिनेताओं-अभिनेत्रियों के अर्द्धनग्न कामोछीपक हाव-भावपूर्ण प्रणय चित्रों को अधिकाधिक छापने की होड़ लग गयी, ऊपर से पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोगों का प्रवेश होने लगा, जिन्हें न शुद्ध लेखन का भाषयिक अनुभव है, न संबद्ध विषय का सामान्य ज्ञान है और न उनके अन्दर कुछ नया जानने व सीखने की ललक-लगन है। आये दिन इसके अनेकानेक उदाहरण देखने को मिलते हैं।

किन्नर हिमाचल प्रदेश की एक गायन वादन प्रवीण जाति है जिसका हिजड़ों से किसी प्रकार का रत्ती भर वास्ता नहीं है। मगर अज्ञानवश अधिकतर पत्र-पत्रिकाओं में हिजड़ों के अर्थ में किन्नर शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा हिमाचलवासी किन्नरों के विरोध तथा आपत्ति के बावजूद हिजड़ों के अर्थ में किन्नर शब्द के प्रयोग का चलन हस्बे मामूल जारी है। वाराणसी से प्रकाशित एक प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के जौनपुर पृष्ठ पर कुछ दिनों पूर्व अटाला मस्जिद को मुग़लकाल में निर्मित बताया गया था जो ऐतिहासिक तथ्य विरुद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है।

अटाला मस्जिद का निर्माण मुग़लकाल के पूर्व शर्की काल में हुआ था। नवीन सहस्राब्दी की शुरुआत पहली जनवरी 2001 से हुई थी, मगर अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने एक वर्ष पूर्व पहली जनवरी 2000 को ही नवीन सहस्राब्दी संबंधी सामग्री क़िस्तवार प्रकाशित कर दी तथा पहली जनवरी 2001 को इस संबंध में एक लफ़्ज़ भी प्रकाशित नहीं किया गया। पिछले कुछ समय से पत्र-पत्रिकाओं में राजनेताओं तथा माफ़िया अपराधियों के महिमा मंडन की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा वे जनप्रतिनिधियों के लिए 'माननीय'

शब्द का प्रयोग करने लगे हैं ।

कुछ समय पूर्व जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह के नाम के साथ बाहुबली विशेषण टांक कर अख़बारों में लिखा जाता था ।

अख़बारों में आजकल ख़ुशामदपसन्द ख़बर प्रकाशित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है । जिस सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख अथवा आयोग के उपाध्यक्ष से विज्ञापन मिलने की उम्मीद है, उसके भ्रष्ट होने के बावजूद उसके माल्यार्पण एवं अभिनन्दन की ख़बर बाक्स घेरकर सचित्र प्रकाशित करने को तरजीह दी जाती है तथा देश की आज़ादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले शहीदों की पुण्यतिथि अथवा जयंती संबंधी समाचार कोने अंतरे में कहीं बामुश्किल स्थान पा जाती है अन्यथा वह भी नहीं छप पाती । नक़ली शहीदों के नाम पर संस्थाओं के नामकरण का विरोध नहीं किया जाता । अपनी जाति या जनपद के व्यक्ति के आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किये जाने पर स्वागत समारोह की ख़बर कई कॉलम में प्राथमिकतापूर्वक छापने का क्या नैतिक आधार, औचित्य तथा आवश्यकता है ।

क्या इसलिए कि हज़ार, दो हज़ार रुपये के विज्ञापन का मिल जाए । यह वैज्ञानिक सोच का अभाव तथा वैचारिक दिशाहीनता नहीं तो और क्या है जो प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक राशिफल, तंत्र-मंत्र, दिशाशूल, वारशूल, धार्मिक अंधविश्वास, नीम के तने में साक्षात मां दुर्गा की दिव्याकृति उभर आने तथा वक्रतुंड गजानन गणेश जी की प्रतिमा के दुग्धपान जैसी अवैज्ञानिक सामग्री को प्रमुखतापूर्वक प्रकाशित-प्रसारित किया जाता है । ऐसा कर हम समाज में लोगों में क्या सन्देश प्रसारित-प्रचारित करना चाहते हैं ? लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के बजाय इस प्रकार की अंधविश्वासपूर्ण, अवैज्ञानिक निराधार तथ्यहीन सामग्री प्रकाशित कर क्या हम पाठकों को भ्रमित नहीं कर रहे ?

हिन्दी समाचार पत्रों में आजकल हिन्दी पर्यायवाचक शब्द जानते हुए भी अंग्रेज़ी शब्दों का चलन बढ़ा है तथा यूनीवर्सिटी, डिपार्टमेंट, एजूकेशन, ट्रीटमेंट, कलेक्ट्रेट, लाइब्रेरी, डिपार्चर, क्वालिफिकेशन, हास्पिटल, इंजेक्शन, हाई प्रोफाइल आदि अंग्रेज़ी शब्दों का प्रचलन सामान्य हो गया है । अख़बारों में भाषायिक अशुद्धियां भी की जाने लगी हैं ।

क्या पत्र-पत्रिकाओं की यही भाषा-संवर्धन नीति है ? अख़बारी भाषा पर इस मामले में आधा तीतर, आधा बटेर वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है । न हिन्दी में, न अंग्रेज़ी में हिन्दी के शुद्ध व्याकरणसम्मत स्वरूप को विकृत करने में ख़ुद हिन्दी भाषा-भाषी पत्रकार ही आगे हैं । उन पर चिराग़ तले अंधेरा वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है । फिर भी वे सरकार पर हिन्दी की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर राष्ट्रभाषा के पिछड़ेपन का अरण्यरोदन करते हैं । हमें हिन्दी पत्रकारिता के सच्चे अर्थ में विकास हेतु ईमानदार नीयत से प्रयत्न करना चाहिए । हमारी इसी कटिबद्धता तथा संकल्पबद्धता से ही हिन्दी पत्रकारिता का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा ।

माल का लालच और ईमान दोनों किसी बन्दे के दिल में हरगिज़ जमा नहीं हो सकते

मद्रासी

मद्रासी होटल
मालवीय रोड
रायपुर (सी०जी०)
फोन : 0771-2539516,2236788

मद्रासी होटल
शॉप नं० 1-7
मोतीबाग़ चौपाटी, रायपुर
फोन : 0771-2533946, 5053603

पेयजल की बढ़ती समस्या

आवश्यकता है त्वरित और स्थायी उपाय की

■ मुशर्रफ़ अली

स्वच्छ पेय जल की अनुपलब्धता हमारे देश में एक गंभीर समस्या रही है जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अनियंत्रित और अव्यवस्थित दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसके अतिरिक्त पानी में हानिकारक और घातक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण भी जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार भी अब पेयजल संकट को स्वीकार करने लगी है। जुलाई 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके लिए एक अलग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का गठन किया। इसके अलावा दिल्ली में नवगठित आम आदमी की सरकार ने भी अपने चुनावी वादों में पेयजल समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी है और प्रत्येक घर में 700 लीटर पानी उपलब्ध कराने का वादा किया है।

अध्ययन से पता चलता है कि देश में पेयजल का स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है। यह बड़ी दुखद और चिंताजनक सच्चाई है कि देश में 50 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां स्वच्छ पेयजल का कोई स्रोत नहीं है। एक अनुमान के अनुसार आने वाले 5-7 वर्षों में देश में पेयजल की ज़बरदस्त कमी हो जाएगी। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 68.2 प्रतिशत घरों में ही स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था थी, शेष 32 प्रतिशत घर इससे महरूम थे। ये आंकड़े 13 वर्ष पहले के हैं। उसके बाद से स्थिति और ख़राब हुई है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों हर तरह की सुविधा की उपलब्धता में अन्तर हमारे देश में आम बात है। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से महानगरों और राज्यों की राजधानियों में आमतौर से कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे शहरों में ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। पेयजल के साथ भी ऐसा ही है। ग्राम प्रधान इस देश में गांवों की हालत बहुत बुरी है। इस महान लोकतंत्र के 14.2 लाख देशों में से 1 लाख 95 हज़ार 813 गांव ऐसे हैं, जहां के पानी में ख़तरनाक रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं। गांव वाले यही ज़हरीला पानी पीने को मजबूर हैं क्योंकि इसे साफ़ करके पीने योग्य बनाने की कोई तरकीब सरकारी तौर पर नहीं की गयी है। ग़ैर-सरकारी तौर पर या निजी रूप में कुछ प्रयास किये गये हैं, जो बहुत ही सीमित हैं।

प्रदूषण के कारण किसी भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है और इसी वजह से भूमिगत जल भी दूषित हो गया है। यही भूमिगत जल ग्रामीण क्षेत्रों के 85 प्रतिशत लोगों के पीने के काम आता है। भूमिगत जल पर अति निर्भरता के कारण ही देश में प्रतिवर्ष 3.77 लाख लोग जिनमें से 75 प्रतिशत बच्चे होते हैं जलजनित रोग से ग्रस्त होते हैं। पानी में मात्रा से बहुत अधिक फ्लोराइड होने के कारण 20 राज्यों में 6.6 लाख लोगों का जीवन ख़तरे में है।

पानी में फ्लोराइड की मात्रा एक मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा में कुछ स्थानों पर यह मात्रा 48 मिलीग्राम प्रतिलीटर तक है। दिल्ली में भी यह मात्रा 32 मिलीग्राम है। सबसे बुरी हालत तो राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश की हैं। इन राज्यों में 14 वर्ष से कम आयु के कोई 60 लाख बच्चे दांतों, हड्डियों और अन्य प्रकार के फ्लोरोसिस के शिकार हैं।

फ्लोराइड के अलावा आर्सेनिक वह दूसरा रासायनिक पदार्थ है, जो भूमिगत जल में मौजूद होता है और जिसके कारण एक लाख से अधिक लोगों का जीवन ख़तरे में है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा और वर्धमान ज़िले इससे बुरी तरह प्रभावित हैं, बल्कि गंगा के मैदान का पूरा निचला भाग आर्सेनिक से प्रभावित क्षेत्र है।

पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा भी एक गंभीर समस्या है। रासायनिक उर्वरक, सैप्टिक टैंक, सीवेज टैंक आदि नाइट्रेट प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों में भूमिगत जल नाइट्रेट से प्रदूषित है । पानी का खाड़ापन भी एक गंभीर समस्या है । लगभग 12,500 आबादियां खाड़े पानी की समस्या से परेशान हैं । गुजरात के तटवर्ती ज़िलों में यह एक बड़ी समस्या है । इन क्षेत्रों में अक्सर बच्चे निर्जलीकरण के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल हासिल करना एक बड़ी चुनौती है । बल्कि गुजरात के उन तटवर्ती क्षेत्र के गांवों से 80 प्रतिशत लोग पलायन कर चुके हैं, इसी खाड़े पानी के कारण ।

प्रदूषित पानी के कारण केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही नहीं हैं, बल्कि यह राज्य पर अत्यधिक बोझ का भी कारण बनता है । दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सरकार ने पेयजल योजनाओं पर 1,105 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिये हैं, लेकिन समस्या अपनी जगह बनी हुई है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है । इसके अलावा देश की ग़रीब जनता जलजनित रोगों के इलाज पर 6700 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ख़र्च करती है ।

ऐसी स्थिति में यह अत्यावश्यक है कि पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान पर विचार किया जाए । इस सिलसिले में कई चीज़ें हैं, जिन्हें नियंत्रित करना होगा । हमारे यहां की सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि हम गंदे पानी की नालियों को नदियों से जोड़ देते हैं । घरों से निकलने वाली नालियां भी नदियों में जा मिलती हैं और कारख़ानों से निकलने वाली नालियां भी । इससे पानी दूषित हो जाता है और नदियों के इस दूषित पानी के कारण भूमिगत जल भी दूषित हो जाता है । इस संबंध में मानवता के उद्धारक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं । आप ने पानी को गंदा करने और उसे बर्बाद करने से सख़्ती से मना किया है । इस बारे में आपकी हदीसें हैं ।

ख़ुशख़बरी

अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सन्देश अल्लाह के अधिक से अधिक बन्दों तक पहुंचाने के उद्देश्य से क़ुरआन मजीद का हिन्दी, गुजराती और मराठी अनुवाद (बिना अरबी मतन के) मुफ़्त तक़सीम करने वालों के लिए केवल 35 रुपये (Rs. 35/-) में उपलब्ध है । यह मौलाना मौदूदी (रह०) के 'तर्जुमा क़ुरआन मजीद', संक्षिप्त टिप्पणी और मुक़दमा तफ़हीमुल क़ुरआन का अनुवाद है । (साइज़ : 20×30/16)

नमूने की कॉपी मुफ़्त हासिल करें और पढ़े-लिखे बिरादराने वतन के नाम और पते प्रेषित करें ताकि उन तक मुफ़्त कॉपी उपहार स्वरूप भेजी जा सकें ।

Also Avallable English Translation with short footnotes and Introduction to understanding Quran

(Translation by : Sahee International, Riyadh, K.S.A.)

VOICE OF QURAN

C/o Rich Decor, 247, Maulana Azad Road, Taj Manzil,
Opp. B.M.C. Bank, Nagpada, Mumbai-400008
Tel. 23063564 Fax. 23087950 Mustafa Mob. 9920182816
Web : **www.voiceofquran.info**
E0mail : **thevoiceofquran@ymail.com**

ग़रीबी और भूख के कुचक्र में फंसे मासूम

■ बाबूलाल नागा

एक वर्ष का दीपक महज़ तीन दिन बीमार रहा और चल बसा । एक वर्ष की सलोनी ने भी तीन दिन की बीमारी के बाद दम तोड़ दिया । दो वर्ष की तनिशा की ज़िन्दगी भी दो दिन की बीमारी में ही चुक गयी । दो साल की दिव्या महज़ पांच दिन बीमार रही और चल बसी । तीन साल की सपना भी सात दिन तक ज़िन्दगी से लड़ाई लड़ने के बाद हार गयी ।

राजस्थान के बारां ज़िले के किशनगंज तहसील के सुवांस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सुवांस, मोयदा व करवरी कलां गांवों में कुपोषण से पिछले दो सालों में पांच बच्चों की मौत हो गयी । ये पांचों सहरिया आदिवासी बच्चे अकाल कवलित हो गये और सरकार व प्रशासन इनकी मौत का कारण कुपोषण न मानकर बुख़ार, खांसी, ख़ून के दस्त और स्वास्थ्य का चढ़ना वग़ैरह मान रहा है ।

बारां ज़िले के आदिवासी सहरिया बाहुल्य क्षेत्र में कुपोषण से निबटने के लिए सरकारी स्तर पर कई तरह के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन बच्चों में कुपोषण से बचाने के सरकार के सारे प्रयास बौने साबित हो रहे हैं । ज़िले में अतिकुपोषित के रूप में चिन्हित क़रीब आधा दर्जन बच्चों की मौत हो चुकी है । इसके अलावा क़रीब 28 हज़ार से अधिक बच्चे कुपोषित के रूप में चिन्हित हैं । क्षेत्र में कुपोषण की समस्या व्यापक रूप में देखने को मिल रही है । करोड़ों ख़र्च किये जाने के बाद भी ज़िले में 29 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं । अभी 0 से पांच साल का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है ।

महिला बाल विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सितम्बर 2012 में कराये गये सर्वे के अनुसार 30 सितम्बर 2012 तक 2820 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित किये गये । सर्वे के अनुसार ज़िले में एक लाख पांच हज़ार 361 बच्चों में से 28 हज़ार 377 बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 74 हज़ार 164 बच्चे सामान्य हैं । सहरिया बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज व शाहाबाद में सर्वाधिक कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चे हैं ।

सर्वे के अनुसार शाहाबाद में 3880 कुपोषित व 486 अतिकुपोषित बच्चे हैं, जबकि किशनगंज में 4732 कुपोषित व 749 अतिकुपोषित बच्चे हैं । कुपोषण उपचार केन्द्रों से प्राप्त आंकड़े कुछ और ही बताते हैं । सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त 2006 से मार्च 2013 तक शाहाबाद कुपोषण उपचार केन्द्र में 1675 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती हुए । इनमें सहरिया जनजाति के 518 बच्चे शामिल हैं । कुल भर्ती हुए बच्चों में 815 लड़के व 860 लड़कियां हैं । 6 से 24 माह तक के बच्चों की संख्या 1389 हैं, जबकि 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 286 हैं । कुल 92 बच्चों को ज़िला स्तरीय कुपोषण उपचार केन्द्र रेफर करवाया गया । किशनगंज में फ़रवरी 2013 से कुपोषण उपचार केन्द्र संचालित किया जा रहा है । 2013 तक 11 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती हुए । केलवाड़ा कुपोषण उपचार केन्द्र में मई 2011 से मार्च 2013 तक 224 अतिकुपोषित बच्चे भर्ती हुए । इनमें से 160 सहरिया जनजाति के बच्चे शामिल हैं ।

सरकार सहरियाओं पर करोड़ों रुपये ख़र्च कर रही है, इसके बावजूद कुपोषण के ये भयावह आंकड़े सरकारी प्रयासों की पोल खोल रहे हैं । दूसरी तरफ़ ज़िले में कई एन॰जी॰ओ॰ काम कर रहे हैं जो सहरियाओं के विकास व कुपोषण से निबटने का दावा करते हैं । लाखों रुपये ख़र्च हो रहे हैं, अगर ठीक से मॉनिटरिंग हो तो ऐसी दिक़्क़त ही नहीं रहे । दरअस्ल, अभिभावक तो रोज़ी-रोटी के लिए रोज़ काम पर निक़ल जाते हैं । ऐसे में बच्चों को पर्याप्त पोषाहार नहीं मिल पाता है । आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थितियां ठीक नहीं हैं । आमतौर पर कुपोषण पहले चरण में नहीं आता और लगातार भूख तथा बीमारी की हालत में बहुत तेज़ी से सेहत में गिरावट पैदा कर सकता है । कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का शुरुआत में ही उपचार नहीं हो पाता है, जब हालत बिगड़ जाती है तब उन्हें कुपोषण उपचार केन्द्र में लाया जाता है । परिजन रोज़ी-रोटी की समस्या के चलते वहां भी समय नहीं दे पाते । घर पर भी बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता । लिहाज़ा बच्चे कुपोषण से बाहर निकल ही नहीं पाते । (विविधा फ़ीचर्स)

कन्या भ्रूणहत्या : कारण और निवारण

❖ डॉ॰ रज़ीउल इस्लाम नदवी

कन्या भ्रूण-हत्या वर्तमान समय की गंभीर सामाजिक समस्याओं में से एक है, इसी कारण लिंग संतुलन बिगड़ रहा है । लड़कों की संख्या अधिक और लड़कियों की कम होती जा रही है । इसके कारण समाज पर अत्यधिक बुरे और ख़तरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित है और इस बुराई से निबटने का उपाय सोच रहा है । सामाजिक संस्थाएं भी इसकी रोकथाम की कोशिश में हैं और जिसको जो समझ में आ रहा है, कर रहा है । सरकारी स्तर पर भी इसकी रोकथाम के लिए क़ानून बनाये गये हैं । इनमें कठोरतम सज़ाओं का प्रावधान है, लेकिन इस बुराई की समाप्ति के कोई संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं । ईश्वर की बनायी हुई प्राकृतिक व्यवस्था में इंसानी हस्तक्षेप से पैदा होने वाली गड़बड़ियों और असंतुलन के परिणाम को इन्सान झेलने के लिए विवश है ।

पहले जनसंख्या की समस्या को हव्वा बनाकर पेश किया गया । इससे निबटने के लिए 'परिवार नियोजन' की तरह-तरह की स्कीमें बनायी गयीं । बर्थ कंट्रोल के क़ानून बने । मामला आगे बढ़ा, तो अब लिंग निर्धारण की कोशिश की जाती है । विभिन्न उपकरणों की सहायता से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भ्रूण जो मां के पेट में पल रहा है, उसका लिंग क्या है ? यदि यह पता चल जाता है कि वह लड़की है, तो गर्भपात करा दिया जाता है ।

पहले जनसंख्या की समस्या को हव्वा बनाकर पेश किया गया । इससे निबटने के लिए 'परिवार नियोजन' की तरह-तरह की स्कीमें बनायी गयीं । बर्थ कंट्रोल के क़ानून बने । मामला आगे बढ़ा, तो अब लिंग निर्धारण की कोशिश की जाती है । विभिन्न उपकरणों की सहायता से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि भ्रूण जो मां के पेट में पल रहा है, उसका लिंग क्या है ? यदि यह पता चल जाता है कि वह लड़की है, तो गर्भपात करा दिया जाता है ।

भारत में प्रति दस वर्ष पर जनगणना होती है। सन 2001 में देश की आबादी एक अरब दो करोड़ सत्तर लाख पन्द्रह हज़ार (1,02,70,15,000) को पार कर गयी है । इनमें पुरुषों की संख्या 53,12,77,000 और महिलाओं की संख्या 49,57,38,000 बतायी गयी है, अर्थात 100 पुरुषों की तुलना में 93 महिलाएं हैं । सन 1991 की जनगणना की तुलना में यह अंतर और भी अधिक था ।

(राष्ट्रीय सहारा, 7 सितम्बर 2006)

देश के कई राज्यों में लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात में बहुत अंतर है । इनमें विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उल्लेखनीय हैं । इन राज्यों में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 800-900 के बीच है । सन 1991 की जनगणना में पंजाब में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 875 थी, जो सन 2001 में घटकर 793 हो गयी । इसी तरह महाराष्ट्र में सन 1991 की जनगणना में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 948 थी, जो सन 2001 में घटकर 917 हो गयी है । (राष्ट्रीय सहारा, 22 अगस्त, 2006)

राजस्थान के सरहदी इलाक़े जैसलमेर की आबादी में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या केवल 785 है । (राष्ट्रीय सहारा, 9 सितम्बर, 2006)

आगरा डिवीज़न में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या फ़िरोज़ाबाद में 887, एटा में 891, आगरा में 866, मथुरा में 872, हाथरस में 886 और अलीगढ़ में 885 है । (राष्ट्रीय सहारा, 29 मई, 2006)

भ्रूणहत्या : एक गंभीर समस्या

लड़कियों से छुटकारा पाने का यह रुझान समाज में लड़कियों को कम हैसियत हासिल होने की वजह से है । उन्हें लड़कों की तुलना में कमतर समझा जाता है । उनके अस्तित्व को माता-पिता अपने ऊपर बोझ समझते हैं । उनका लालन-पालन, उनकी सुरक्षा, उनके विवाह में होने वाली परेशानियां आदि उनके लिए बोझ बन जाती हैं । इन सबके अतिरिक्त भी बच्चियों के मामले में ऐसी नाजुक और संगीन समस्याएं सामने आती रहती हैं कि मां-बाप इसी में भलाई समझता है कि जन्म से पहले ही उससे छुटकारा पा लिया जाए ।

जब अल्लाह के अन्तिम ईशदूत इस दुनिया में आये, उस समय भी लड़कियों को भारी बोझ समझा जाता था । उनके माता-पिता को इस बात की आशंका सदैव सताती रहती थी कि अच्छा रिश्ता न मिलने की स्थिति में उन्हें अपनी बेटी की शादी दूसरे क़बीलों में करनी होगी । यह भी ख़तरा रहता था कि लुटेरे जब आक्रमण करेंगे, तो वे उन्हें पकड़ ले जाएंगे और उन्हें दासियां बना लेंगे । यही कारण था कि जब उनमें से किसी के यहां लड़की पैदा होती थी, तो उसका चेहरा उतर जाता था ।

इस्लाम ने सबसे पहला काम यह किया कि लोगों को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया । कोई भी क़ानून उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता, जब तक लोग उसे मानने के लिए तैयार न हों । लोग उसकी ख़ूबियों से अवगत न हों और उसके न मानने की हानियों को न जान जाएं ।

"और जब उनमें से किसी को बेटी की शुभ सूचना मिलती है तो उसके चेहरे पर कलौंस छा जाती है और वह घुटा-घुटा रहता है । जो शुभ सूचना उसे दी गयी वह (उसकी दृष्टि में) ऐसी बुराई की बात हुई कि उसके कारण वह लोगों से छिपता-फिरता है कि अपमान सहन करके उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे । देखो कितना बुरा फ़ैसला है जो वे करते हैं ।" (क़ुरआन, 16:58-59)

लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम के आगमन से पहले अरब के कुछ क़बीलों (Tribes) में बड़ी घिनौनी-घिनौनी प्रथाएं थीं–

"जब जन्म का समय क़रीब आता, तो एक गढ़ा खोद दिया जाता था । फिर यदि लड़की पैदा होती, तो जन्म के तुरंत बाद उसे गढ़े में दफ़्न (गाड़) कर दिया जाता था ।"
(इब्ने-अब्बास)

"लड़की पैदा होते ही उसे मारकर कुत्ते के आगे डाल दिया जाता था ।" (क़तादा)

(क) "किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाकर फेंक दिया जाता था ।

(ख) पानी में डुबा दिया जाता था ।

(ग) ज़िब्ह (वध) कर दिया जाता था ।

(घ) जब वह कुछ बड़ी हो जाती थी, तो एक दिन उसे ख़ूब सजा-संवार कर रेगिस्तान में ले जाया जाता था, जहां ख़ूब गहरा गढ़ा खोदकर उसमें धकेल दिया जाता था और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी जाती थी ।" (तफ़्सीर कबीर)

आज की परिस्थितियां भी कुछ अलग नहीं हैं । जैसलमेर (राजस्थान) के एक गांव 'देवड़ा' के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि वहां पिछले 100 वर्षों में किसी बच्ची की शादी नहीं हुई है । पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है । कभी-कभी तो यह काम खुद उनकी मां करती है । वह अपने दूध के साथ बच्ची को अफ़ीम खिला देती है । नाक पर रेत की पोटली रख देती है या मुंह और नाक में रेत भर देती है । मुंह पर रजाई या तकिया रख देती है, ताकि बच्ची का दम घुट जाए, या मुंह में नमक भर देती है ।
(राष्ट्रीय सहारा, 9 सितम्बर, 2006)

समाज का वह वर्ग जो अपने को एडवांस मानता है, वह

तो इतना निर्दयी होता है कि शिशु के जन्म तक की भी प्रतीक्षा नहीं करता । गर्भ में ही स्केनिंग करके पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में पलने वाली नन्हीं-सी जान लड़का है या लड़की । यदि लड़की हुई, तो गर्भपात करा दिया जाता है । इस तरह भ्रूण-हत्या रोकने के लिए सन् 1994 में क़ानून बनाया गया । (Natal Diagnostic Technique Regulation and Prevention of MisuseAct) इस क़ानून के तहत बच्चे के लिंग का पता लगाना क़ानूनी अपराध समझा गया, लेकिन इसके बावजूद हर साल 5-7 लाख लड़कियों की मां के गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है ।

(राष्ट्रीय सहारा, 6 जून, 2006)

इस तरह के Fertility Centre पर समय-समय पर छापा भी मारा जाता है । इस काम में लिप्त डॉक्टरों को गिरफ़्तार भी किया जाता है, उनके विरुद्ध मुक़दमे भी चलते हैं और उन्हें सज़ा भी दी जाती है, मगर इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस सामाजिक बुराई का ख़ात्मा तो क्या, इसके फैलाव को रोकना भी संभव नहीं हो सका है ।

इस्लामी उपाय

इस्लाम भ्रूण-हत्या को गंभीर अपराध मानता है । उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाता है । जिन आशंकाओं और संभावित ख़तरों के कारण लोग भ्रूण-हत्या कर रहे हैं उन्हें दूर करता है । इस्लाम लड़कियों को सौभाग्यशालिनी व कल्याणकारिणी समझता है । उनके लालन-पालन और अच्छे प्रशिक्षण की भी शिक्षा देता है । सामाजिक स्तर पर यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है ।

इस्लाम ने सबसे पहला काम यह किया कि लोगों को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार किया । कोई भी क़ानून उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो सकता, जब तक लोग उसे मानने के लिए तैयार न हों । लोग उसकी ख़ूबियों से अवगत न हों और उसके न मानने की हानियों को न जान जाएं ।

इस्लाम ने बताया कि यह एक शैतानी कार्य है–

"इसी प्रकार बहुत से बहुदेववादियों के लिए उनके साझीदारों ने उनकी अपनी संतान की हत्या को सुहाना बना दिया है, ताकि उन्हें विनष्ट कर दें और उनके लिए धर्म को संदिग्ध बना दें ।" (क़ुरआन, 6:137)

"वे लोग कुछ जाने-बूझे बिना घाटे में रहे, जिन्होंने मुर्खता के कारण अपनी संतान की हत्या की ।"

(क़ुरआन, 6:140)

अरब के कुछ क़बीले (Tribes) अपनी लड़कियों की हत्या केवल इसलिए कर देते थे, कि वे उन्हें आर्थिक बोझ समझते थे । लड़के तो बड़े होकर उनका हाथ बटाते थे, लेकिन लड़कियां बड़ी होकर कुछ नहीं करती थीं ।

क़ुरआन ने यह स्पष्ट किया कि आजीविका की चाबियां तो अल्लाह के हाथ में हैं । इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उनकी रोज़ी का ज़िम्मा ईश्वर ने अपने ऊपर ले रखा है । कोई शक्तिशाली हो या कमज़ोर, हट्टा-कट्टा हो या अपंग, स्वयं रोज़ी-रोटी के लिए दौड़-धूप करता हो या वह किसी दूसरे पर निर्भर हो, उसे रोज़ी मिलती है, तो अल्लाह (ईश्वर) की आज्ञा और उसकी मर्ज़ी से ही–

"और निर्धनता के कारण अपनी संतान की हत्या न करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी ।"

(क़ुरआन, 6:151)

"और निर्धनता के भय से अपनी संतान की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी । वास्तव में उनकी हत्या बहुत ही बड़ा अपराध है ।"

(क़ुरआन, 17:31)

लड़कियों की हत्या को उन घृणित कृत्यों में शामिल किया गया है, जिसके बारे में आख़िरत (परलोक) के दिन पूछताछ होगी–

"और जब जीवित गाड़ी गयी लड़की से पूछा जाएगा कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गयी ।"

(क़ुरआन, 81:8-9)

इस्लाम में लड़कियों की हत्या की गिनती उन कामों में सम्मिलित की गयी है, जिन्हें ईश्वर ने अवैध (हराम) क़रार दिया है–

"अल्लाह ने तुम पर हराम क़रार दिया है मां-बाप, की अवज्ञा, लड़कियों को ज़िन्दा दफ़्न करना और फ़िज़ूलख़र्ची ।" (मुस्लिम)

सन्तान की हत्या न करने की प्रतिज्ञा

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)[1] अपने अनुयायियों से बैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय जिन बातों का इक़रार (वादा) करवाते थे, उनमें एक बात यह भी होती थी कि अपनी संतान की हत्या नहीं करेंगे । 'हुदैबिया की संधि' के बाद और मक्का-विजय से पहले बहुत-सी महिलाएं मक्का से हिजरत (प्रवास) करके मदीना पहुंचीं । ईश्वर ने अपने ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को उनसे बैअत लेने का आदेश दिया–

"ऐ नबी ! जब तुम्हारे पास ईमान वाली स्त्रियां आकर तुमसे इस पर 'बैअत' (प्रतिज्ञा) करें कि वे अल्लाह (ईश्वर) के साथ किसी चीज़ को साझी नहीं ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न व्यभिचार करेंगी, और न अपनी औलाद (संतान) की हत्या करेंगी और न अपने हाथों और पैरों के बीच कोई आरोप घड़कर लाएंगी, और न किसी भले काम में तुम्हारी अवज्ञा करेंगी, तो उनसे 'बैअत' ले लो और उनके लिए अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो । निश्चय ही अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है ।"

(क़ुरआन, 60:12)

इसी तरह की अहद (प्रतिज्ञा) ईशदूत ने मर्दों से भी लिया । मदीना हिजरत करने से पहले यसरिब के जिन खुशनसीब लोगों ने ईशदूत के हाथ पर 'बैअत' (प्रतिज्ञा) की थी उनमें हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि०) भी थे । वे बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"मुझ से बैअत (प्रतिज्ञा) करो उस चीज़ पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे और अपनी संतान की हत्या नहीं करोगे ।" (बुख़ारी)

इस्लाम इस बात को नहीं मानता कि लड़की का अस्तित्व आदमी के लिए मुसीबत या परेशानी का कारण है, बल्कि उसने लड़की को जन्नत (स्वर्ग) में प्रवेश करने का एक साधन बताया है ।

1. (सल्ल०)–इसका पूर्ण रूप है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका अर्थ है, अल्लाह उन पर रहमत और सलामती की बारिश करे ।

इल्तिजा

मेरी अम्मी...मेरी अम्मी...!
मैं मर जाऊंगी अम्मी !
अंधेरा जैसे गहरा हो रहा है
धुआं-सा हर तरफ़ फैला हुआ है
मुसलसल एक घुटन-सी हो रही है
रगो-पै में चुभन-सी हो रही है
मेरी अम्मी मुझे दुनिया में आने दो
मैं नन्ही-सी सही लेकिन
बुने हैं ख़्वाब कुछ मैंने
उन्हें ताबीर पाने दो
मुझे दुनिया में आने दो !
मैं आऊंगी तो हंस-हंसकर
तुम्हें हरदम रिझाऊंगी
तुम्हारा दिल लुभाऊंगी
मैं पापा को मुहब्बत से पुकारूंगी
नहीं हरगिज़ सताऊंगी
नहीं हरगिज़ सताऊंगी
मैं घर जन्नत बनाऊंगी !
मैं थोड़ी-सी बड़ी होकर
करूंगी नाम रोशन
आपका, पापा का-अम्मी जी !
खड़ी हो जाऊंगी मैं अपने पैरों पर
तुम्हें शरमिन्दा मैं होने नहीं दूंगी
तुम्हारी आबरू खोने नहीं दूंगी
तुम्हारी और पापा की दुआएं लेके जाऊंगी
नयी दुनिया बसाऊंगी !
मगर अम्मी तुम्हारी कोख में महसूस होता है
किसी का हाथ है मेरे गले पर
और जैसे दम अभी निकला ! अभी निकला !
मेरी अम्मी ! मेरी ये इल्तिजा सुन लो !
मुझे मत क़त्ल होने दो
बचा लो मुझको अम्मी जी !
बचा लो मुझको अम्मी जी !
बुने हैं ख़्वाब कुछ मैंने
उन्हें ताबीर पाने दो
मुझे दुनिया में आने दो !
मुझे दुनिया में आने दो !

इन्तिज़ार नईम
2525, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-6

हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) कहते हैं कि ईश्वर के दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति को दो लड़कियां हों, वह जब तक उनके पास रहें, वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे, तो वह उसके स्वर्ग में प्रवेश का साधन बनेंगी ।"

(सुनन इब्ने-माजा)

हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि॰) कहते हैं, अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति को तीन लड़कियां हों, वह सब्र करे और उनको अपनी हैसियत के अनुसार खिलाये, पिलाये, पहनाये वह प्रलय के दिन नरक से उसके लिए ओट बन जाएंगी ।" (सुनन इब्ने-माजा)

हदीसों में लड़कियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की बहुत ताकीद (ज़ोर देकर) की गयी है । हज़रत अबू सईद अल-खुदरी (रज़ि॰) से रिवायत (उल्लिखित) है कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति ने तीन लड़कियों का लालन-पालन उन्हें अदब (शिष्टता) सिखाया, उनकी शादी की और उनके साथ सद्व्यवहार करता रहा, तो उसके लिए स्वर्ग है ।" (अबू दाऊद)

हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया–

"जिस व्यक्ति ने अपनी तीन बेटियों या तीन बहनों का लालन-पालन किया, उन्हें अदब (शिष्टता) सिखाया, उनके साथ हमदर्दी (सहानुभूति) का मामला किया, यहां तक कि ईश्वर ने उन्हें बेनियाज़ (निःस्पृह) कर दिया, उसके लिए अल्लाह ने स्वर्ग अनिवार्य कर दी है ।

बयान करने वाले कहते हैं कि यह सुनकर एक व्यक्ति ने पूछा : ऐ ईश्वर के दूत ! यदि किसी को दो बेटियां या दो बहनें हों और वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करे ?" आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "उसके लिए भी यही बदला (प्रतिफल) है ।"

बयान करने वाला आगे कहता है कि यदि उपस्थित लोगों में से किसी ने कोई एक लड़की या बहन के साथ सद्व्यवहार के बारे में पूछा होता, तो ईशदूत यही जवाब देते । (शरह-अल-सुन्ना)

इस्लाम की ये शिक्षाएं लड़कियों को समाज में इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करती हैं कि इससे अधिक की कल्पना भी नहीं की जा सकती । जिन समाजों में लड़कियों के अधिकार छीन लिए गये हैं, या उन्हें कमतर समझा जाता है, उन्हें उनकी हालत सुधारने और उन्हें उच्च स्थान देने के लिए इन शिक्षाओं से मदद मिलेगी ।

आप कैसी पत्रिका पढ़ना चाहते हैं ?

जी हां !
देश में कमी नहीं है
पत्रिकाओं की–
पर क्यों नहीं ?
ये आपकी प्रिय पत्रिका बन पाती हैं
और स्वस्थ चेतना जगाती हैं–
जी हां !
आ गयी है, वह पत्रिका
जो आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिंब है
जो देती है वास्तविक
जानकारी घटनाक्रमों की-
और बताती है
सांसारिक और पारलौकिक
जीवन संवारने का ।

पढ़िए और पढ़ाइए

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

मूल्य-प्रति कॉपी 20/-वार्षिक 220-

प्रधान कार्यालय
दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

घटते लिंगानुपात के संदर्भ में भाषा का अनुचित प्रयोग

■ डॉक्टर मीता सिंह

2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लड़कियों की संख्या को तेज़ी से घटना पूरे राष्ट्र में चिंता का विषय बना है । 2001 की जनगणना में जब यह पता लगा कि बाल लिंगानुपात में तीव्रता से लड़कियों की संख्या कम हो रही है और यह 1000 लड़कों में 927 लड़कियों की है तो राज्य व नागरिक समाज ने इसकी पड़ताल प्रारंभ की और लैंगिक भेदभाव पर तेज़ी से संवाद प्रारंभ किया । यह अंतर 10 साल बाद और ज़्यादा बढ़कर 914 रह गया है । इन दो दशकों में अलग-अलग क्षेत्रों में बेटियों के कम होने के प्रश्न पर चर्चा प्रारंभ हुई है । यह चर्चा राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवियों, नागरिक समाज संगठन व मीडिया सब जगह प्रारंभ हुई । इन चर्चाओं में भ्रूण हत्या व भ्रूण में भ्रूण हत्या शब्द का प्रयोग होने लगा जो अपने आप में समस्या है । भ्रूण वध का मतलब है भ्रूण को मारना । यह हर गर्भपात के संदर्भ में इस्तेमाल होने लगा । कुछ राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता व धार्मिक लोग यह कहने लगे कि गर्भ गिराना कन्या वध है । इस कारण ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए । तर्क इसमें हर औरत का वैधानिक व सुरक्षित गर्भपात कराने के अधिकार की महत्ता पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दी गयी ।

सोनोग्राफ़ी से भ्रूण के स्वास्थ्य की नियमित जांच व गर्भ की प्रगति को देखना धीरे-धीरे भ्रूण के लिंग को बताने में बदलता गया । लिंग परीक्षण करना ग़ैर-क़ानूनी होते हुए भी कुछ डॉक्टर भ्रूण का लिंग बताने में लिप्त हो गये । लिंग का पता होने पर महिला किसी भी अस्पताल या क्लीनिक में जाकर गर्भपात करा सकती है । यह महिला के स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक बन गया । 2011 में महाराष्ट्र के एक विधानसभा सदस्य ने वक्तव्य दिया कि कन्या भ्रूण गिराने को हत्या माना जाना चाहिए । यह महिला के गर्भ गिराने के अधिकार का हनन था इस कारण महिला संगठनों ने इसका तीव्र विरोध किया । मीडिया में गर्भ गिराना, कन्या गर्भ गिराना, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या शब्दों का प्रयोग हर गर्भ गिराने पर इस्तेमाल होता है । जैसे अगर हम 'भ्रूण हत्या' शब्द की व्याख्या करें तो ऐसा लगता है कि यह भ्रूण की हत्या है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी गर्भपात हत्या हैं । यह साफ़ किया जाना चाहिए कि गर्भपात कराना महिला का हक़ है और इस कारण गर्भपात हत्या नहीं है । मेडिकल गर्भपात क़ानून में साफ़ लिखा है कि किस समय तक सुरक्षित गर्भपात कराया जा सकता है परंतु मीडिया में 'भ्रूण-हत्या' शब्द के प्रयोग से यह आभास होता है कि सुक्षित गर्भपात व लिंग जांच गर्भपात में कोई अंतर नहीं है । भ्रूण हत्या पाप है इस तरह के शब्दों के प्रयोग से यह संदेश जाता है कि सुरक्षित गर्भपात पर भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए । जबकि कई बार अनचाहे गर्भ को गिराना व डॉक्टरों के अनुसार गर्भवती मां को ख़तरा होने पर गर्भ को गिराना आवश्यक हो जाता है ।

पाप व हत्या शब्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है समस्या की अस्ली जड़ को समझना । समाज में लड़के लड़की का भेद और पुत्र कामना इतना बड़ा मुद्दा है उसे समझने की आवश्यकता है । लड़के की चाह इतनी गहरी है कि लड़की को गर्भाशय में ही नष्ट कर दिया जाता है । इससे बुरा व गहरा लैंगिक भेदभाव अन्य कोई हो ही नहीं सकता । यह लैंगिक हिंसा है या दूसरे शब्दों में यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है । लिंग की जांच करके गर्भपात कराना एक लिंग के प्रति भेदभाव को इंगित करता है । ज़्यादातर लड़कियों का गिराया जाता है । इससे लड़कियों की स्थिति खुलकर सामने आती है । पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून में भ्रूण में लिंग का परीक्षण अपराध है जो लोग इस तरह की लिंग जांच कर रहे हैं उन पर निगरानी रखना व उचित दंड देना अति आवश्यक

है परंतु दीर्घकालीन योजना बनाकर कार्य करना ज़रूरी है जिसमें लड़कों की चाहत इतनी ज़्यादा है और लड़कियों के प्रति इतनी नफ़रत है उसे बदला जाए। जब तक यह नहीं होगा लड़कियों की संख्या घटती चली जा सकती है।

पी॰सी॰पी॰एन॰डी॰टी॰ क़ानून को लागू करते हुए एम॰टी॰पी॰ क़ानून को नहीं बदला जाए। यह क़ानून औरत को वैधानिक व सुरक्षित गर्भ गिराने का हक़ देता है। 6 मई 2013 को हिंदू अख़बार में एक समाचार छपा था कि असुरक्षित गर्भपात हर दो घंटे में एक औरत को मारता है। भारत में मातृत्व मृत्यु दर में 8 प्रतिशत मौतें असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं। गर्भपात व लिंग जांच करके गर्भपात में अंतर समझना चाहिए। लिंग जांच व आधारित गर्भ समापन शब्द का प्रयोग होना चाहिए न कि भ्रूण हत्या या फिटिसाइड शब्द का प्रयोग हो। भाषा का प्रयोग हमारे विचारों को प्रभावित करता है और उसी से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्य प्रभावित होते हैं।

(विविधा फ़ीचर्स)

सेहतमन्द और रचनात्मक पत्रकारिता का प्रतीक

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

मीडिया आज का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इसी से जनमत बनाये और बिगाड़े जा सकते हैं। एक छोटी-सी अफ़वाह शांति से रह रहे लोगों के बीच दंगे का कारण बन जाती है और सच्ची जानकारी अशांतिपूर्ण माहौल को शांतिपूर्ण बना देती है।

आज की बेमक़सद पत्रकारिता ने मीडिया की भूमिका को बिगाड़ कर रख दिया है। हिंसा, अपराध, कुकृत्य और अनैतिक कारनामों एवं महत्वहीन चीज़ों की सनसनीख़ेज़ प्रस्तुति ही पत्रकारिता समझी जाने लगी है। घोटालों, अनियमितताओं, राजनीतिक उठापटक की गाथाओं और नेताओं के काले कारनामों की एकांगी और प्रायोजित रिपोर्टिंग आदि से लोग तंग आ चुके हैं।

इस विषमता भरे माहौल में 'कान्ति' (साप्ताहिक) एक ऐसा अख़बार है, जो नकारात्मक मुद्दों से हटकर सही दिशा में लोगों की रहनुमाई करता है। समाज में फैली बुराइयों एवं कुरीतियों का पर्दाफ़ाश करता और सार्वजनिक दोषों को निष्पक्षता एवं निर्भीकतापूर्वक सामने लाता है। आपकी समस्याओं को समझता और उनका हल पेश करता है। यह आपके मन को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी संतुष्ट करता है। इसमें हर इन्सान के अंत:करण की स्वाभाविक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आध्यात्म और रूहानियत पर सारगर्भित आलेख, दस्तावेज़ी और ज्ञानवर्द्धक रिपोर्टें और अन्य सामग्रियां प्रकाशित की जाती हैं।

'कान्ति' (साप्ताहिक) आज से लगभग 54 वर्ष पूर्व प्रकाशित ऐसा अख़बार है जो इन्सानों को नेकी और भलाई के लिए उभारता है। अच्छे समाज के निर्माण और इन्सानों की ज़िन्दगियों को कामयाब बनाने के लिए रहनुमाई करता है। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फैली और फैलाई जा रही ग़लतफ़हमियों को सही तथ्य पेश कर दूर करने की कोशिश करता है। साथ ही देश और दुनिया की हलचल से बाख़बर रखता है और ख़बरों व घटनाओं पर संतुलित एवं शिक्षाप्रद टिप्पणी तथा विश्लेषण करता है।

'कान्ति' पढ़िए और पढ़ाइए

इसे जन-जन तक पहुंचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है।

प्रति कॉपी- ₹ 5 • वार्षिक- ₹ 250

प्रबंधक 'कान्ति' (साप्ताहिक)

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025

फ़ोन : 09818799223, 011-26949430

ADVT.

घटता लिंगानुपात : एक गंभीर प्रश्न

■ डॉक्टर जनक सिंह मीणा

मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है लेकिन प्रश्न उठता है कि जब मानव सृष्टि में उत्कृष्ट है तो फिर उसमें भेद, असमानता की व्याप्तता क्यों पनपी ? इसी भेद एवं असमानता ने मनुष्य-मनुष्य के बीच खायी पैदा की और अब सिलसिला शुरू होता है ऊंच-नीच, वर्ग, समुदाय, जाति, लिंग, क्षेत्रीयता, भाषाई आदि भिन्नताओं का । चूंकि यह विषय् मानवता से जुड़ा एवं सामाजिक विज्ञानों में चिंतन का विषय है और समाज से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक वैज्ञानित एवं चिंतक है, अत: प्रत्येक प्राणी को मानवीय जीवन से जुड़े इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है । सभी चिंतक, विद्वान, पुरोधा, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, समाज सेवक एवं ग़ैर-सरकारी संगठन सैद्धांतिक तौर पर महिला एवं पुरुष को समाजरूपी रथ के दो पहियों की संज्ञा देते हैं तथा समाज की उन्नति के लिए दोनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए एक दूसरे के पूरक समझते हैं, परंतु वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आज भी पुरुष दमनकारी की मानसिकता प्रत्येक स्तर एवं स्थान पर देखी जा सकती है और महिलाओं के साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है ।

देश में सकल लिंगानुपात की बात की जाए तो यह वर्ष 2001 में 933 था, जो 2011 की जनगणना में 940 हो गया है, परंतु भविष्य की ओर जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वे नकारात्मक हैं । भारत में 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 2001 में 927 था, जो 2011 में घटकर 914 रह गया है । राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो सकल लिंगानुपात 2001 में 921 था जो 2011 में बढ़कर 926 हो गया परंतु 0-6 आयु वर्ग में 2001 में 909 की तुलना में 2011 में 883 रह गया है । राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर ज़िले में 990 है जो कि वर्ष 2001 में 1022 था, राजसमंद 988 है, जहां 1000 था, वहीं न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर ज़िले में 845 है । इसी प्रकार 0-6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात प्रतापगढ़ ज़िले में 926 है, जबकि झुंझुनूं में न्यूनतम 831 है ।

अब प्रश्न उठता है कि राज्य में लिंगानुपात कम क्यों हो रहा है । देश में केरल में ही सर्वाधिक लड़कियां पैदा हो रहीं हैं ? अथवा राजस्थान में डूंगरपुर में ही लड़कियां सर्वाधिक क्यों पैदा हो रही हैं, धौलपुर में क्यों नहीं ? मानव ही मानव का दुश्मन क्यों बनता जा रहा है ? एक ओर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा में निरंतर प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में तकनीक का नकारात्मक दिशा में प्रयोग कर स्वयं अपनी जड़ें काट रहे हैं । अंग्रेज़ी में कथन है Science is a good servant but a bad master अर्थात विज्ञान एक अच्छा सेवक है परंतु एक घातक मालिक । विज्ञान के इसी तकनीकी विकास ने लिंगभेद की खाई को और बढ़ाया है तथा प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ने में कोई क़सर नहीं छोड़ी है । अल्ट्रासाउंड मशीन हो या इसी प्रकार के अन्य उपकरण यदि विज्ञान के इन उपकरणों का ग़लत दिशा में प्रयोग करते रहे तो लड़कियां पैदा होना ही बंद हो जाएंगी । यह प्रश्न देश की लिंगानुपात के संदर्भ में बात करते हैं तो हरियाणा पर लागू होती है क्योंकि वहां सर्वाधिक अवैध तरीक़े से लिंग परीक्षण होता है और भ्रूण के स्त्रीलिंग होने पर गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या, जन्म के बाद भी हत्या कर दी जाती है क्योंकि हरियाणा में आज भी लड़कियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है । खाप पंचायतों द्वारा फ़रमान जारी कर लड़कियों को कलंकित कर दिया जाता है अथवा काला मुंह करके नग्न अवस्था में गधे पर बैठाकर सार्वजनिक रूप से उनकी इज़्ज़त को तार-तार कर दिये जाने की घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं । हालांकि हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात होने के दुष्परिणाम उनके सामने हैं और शादी-विवाह नहीं हो पाने के कारण दूसरे राज्यों से लड़कियों एंवं औरतों को ख़रीद कर गृहस्थ जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं ।

समाज में आज भी धारणा बलवती है कि सामाजिक सुरक्षा एवं वंश, नाम तथा संपत्ति के वारिस के लिए लड़का

समाज में आज भी धारणा बलवती है कि सामाजिक सुरक्षा एवं वंश, नाम तथा संपत्ति के वारिस के लिए लड़का होना आवश्यक है । लड़का या लड़की का निर्धारण तो गुणसूत्रों के मिलन का परिणाम है परंतु 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या में रूढ़िवादिता, धार्मिक मान्यताएं, देवी-देवताओं की इच्छा, टोटके, विभिन्न प्रकार की दवाइयों को लिंग का निर्धारक तत्व मानते हैं । बड़े-बड़े बाबाओं, भोपाओं, श्याणों, घुड्ल्या, पुजारी अपनी निराधार धारणाओं से लोगों को गुमराह करते एवं ग़लत आश्वासन देते हैं । देश के कई समाज़ों में लड़की के जन्म को ही अपशगुन माना जाता है । या तो पैदा ही नहीं होने दिया जाता या पैदा हो भी जाती हैं तो ज़िंदा या मारकर गाड़ दिया जाता है । कन्या भ्रूण हत्या के लिए कोई यह तर्क दे कि अशिक्षा के कारण ये सब हो रहा है तो यह क़तई मान्य नहीं होगा । इसके लिए न केवल शिक्षित बल्कि उच्च शिक्षित एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोग अधिक ज़िम्मेदार हैं । उच्च शिक्षित एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहते और वे सब कुछ जानते हुए लिंग परीक्षण करवाते हैं और भ्रूण हत्या में भी नहीं सकुचाते हैं ।

राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं सबको चौंका देने वाली हैं, वहां के एक गांव में 0-6 आयु वर्ग के लड़कों की संख्या तो सैकड़ों में है परंतु लड़कियां केवल तीन बची हैं । एक ख़बर ने सभी को सोचने को मजबूर कर दिया जिसमें एक डॉक्टर द्वारा अवैध लिंग परिक्षण किया जाता था और कन्या भ्रूण होने पर गर्भपात करवाने पर उस भ्रूण को अपने कुत्तों को खिलाने का मामला सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया । जिनको हम जीवन रक्षक समझते हैं क्या वे ही ऐसे कुकृत्य कर मानवता के लिए कलंक नहीं हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या इनकी रोकथाम के लिए कोई क़ानून उपलब्ध नहीं है ? जिसके जवाब में उत्तर है, क़ानून तो ढ़ेर सारे हैं परंतु पहली बात क़ानून कोई जादू की छड़ी नहीं है और दूसरी बात क्या हर बात के लिए क़ानून आवश्यक है ? क्या हम सबकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ? शायद इन प्रश्नों का उत्तर हम खोजें तो समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी ।

भारतीय संविधान में क़ानूनों की भरमार है परंतु उनके पालन अथवा क्रियांविति उस रूप में नहीं हो पाती है जिस रूप में उनका निर्माण होता है । फिर यदि उसकी क्रियांविति करने की कोशिश भी की जाती है तो कई प्रकार के दबाव, नकारात्मक हस्तक्षेप, घूस आदि तैयार रहती हैं । समाज में जो नकारात्मक अवधारणाएं बनी हुई हैं जिनमें लड़के के जन्म को पुत्र रत्न कहा गया है, उसे घर का चिराग़, दीपक, वारिस, मालिक कहा गया है और उसके जन्म पर पार्टी या विशेष समारोह का आयोजन किया जाता है, वहीं लड़की के जन्म को धिक्कार के रूप में लेते हैं, वे आज तो यथार्थ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम इंदिरा गांधी को लें तो वे जवाहर लाल नेहरू की इकलौती बेटी थी, क्या आज नेहरू जी का वंश नहीं चल रहा है, क्या उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान नहीं बनायी ? आज छोटे से लेकर बड़े-बड़े ओहदों पर महिलाएं आसीन हुई हैं और सफलता का परचम लहराकर एक नयी इबारत लिखी है । इसलिए कन्या बचाओ, आगे बढ़ाओ और ख़ूब पढ़ाओ तभी विकास का बिगुल बजेगा । (विविधा फ़ीचर्स)

बचिए पक्षपात से

इस्लाम अपने अनुयायियों को उम्मत (समुदाय) का शुभचिन्तक बनाने के साथ सम्पूर्ण मानवजाति का भी हमदर्द बनाता है । पक्षपात आदमी को नफ़रत और दुश्मनी सिखाता है । जो व्यक्ति क़ौमी पक्षपात में ग्रस्त हो वह अपनी क़ौम के अतिरिक्त किसी अन्य क़ौम के साथ हमदर्दी एवं प्रेम का पक्षधर नहीं हो सकता । इस्लाम पूर्णतः इसके विरुद्ध है । इस्लाम की दृष्टि में अल्लाह की सृष्टि अल्लाह का कुटुम्ब है, जो उसकी जितनी सेवा करे वह अल्लाह का उतना ही प्रिय है । हदीस में है :

● हज़रत अनस (रज़ि॰) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया : "सारी सृष्टि अल्लाह का कुटुम्ब है, उसमें से वह व्यक्ति अल्लाह को सबसे अधिक प्रिय है जो उसके कुटुम्ब को अधिक लाभ पहुंचाए ।"

(मिश्कात)

कब बदलेगी महिला विरोधी मानसिकता ?

■ डॉ॰ मुहम्मद अहमद

हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो नकारात्मक मानसिकता पायी जाती है, उसका एक सबूत विगत छह जनवरी को भी मिला, जब एक नवजात कन्या की लाश को नयी दिल्ली स्थित माता चानन देवी चेरीटेबल हास्पिटल के कर्मचारियों ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया, हालांकि यह वैसी घटना नहीं है, जो कुछ वर्ष पूर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घटित हुई थी । वह 9 मार्च 2009 की सुबह थी, जब वह हृदयविदारक दृश्य एक छोटी-सी दूकान पर चाय पी रहे लोगों ने देखा, जिसने उन्हें स्तब्ध ही नहीं अन्दर से हिला दिया था । सहसा वे यक़ीन नहीं कर पा रहे थे कि कुत्ते के मुंह में जो कुछ है, वह एक नवजात बच्ची की लाश है । बच्ची होने के कारण उसे मृत्यु का दंश झेलना पड़ा, वह भी अत्यंत निर्मम और नृशंस ! कहां गयी मां की ममता ? बड़े-बुजुर्गों का प्यार- दुलार ? माता-पिता का सन्तान के प्रति सहज-स्वाभाविक लगाव व वात्सल्य का जनाज़ा किसने दिया ? कितना बर्बर हो गया है भौतिकवादी-अंधताग्रस्त समाज ? हमारे सामने कन्या भ्रूणहत्या के बढ़ते आंकड़े बार-बार आते हैं, जो समाज की कटु सच्चाई और क्रूरता को बयान करते हैं । फिर भी स्थिति नहीं बदलती ! ऐसे भी मामले आते हैं, जो कुछ पिताओं और माताओं के स्वाभाविक कर्तव्यों पर भी सवालिया निशान लगाते हैं, मगर चिंता और आश्चर्य की बात यह है कि यह ज्वलंत, गंभीर और अति महत्व का विषय न तो मीडिया के विचार-विमर्श का केन्द्र बनता है और न ही समाज के कर्णधार ही उद्वेलित होते हैं ! लगता है, सब निराश हो चुके हैं । देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कई बार स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है । सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ देश में हर साल लगभग पांच लाख कन्या-भ्रूण हत्याएं होती हैं, जिन्हें अंजाम देते हैं अधिकतर पढ़े- लिखे मध्यम वर्ग के लोग ! पंजाब और हरियाणा के लोग इस रक्तपात में सबसे आगे हैं । इन्हीं राज्यों में अस्सी फ़ीसद से अधिक गर्भपात होते हैं । हरियाणा के एक गांव में मुद्दतों बाद 2008 में एक ऐसी सौभाग्यशाली लड़की पैदा हुई, जो जीवित थी, अत: ख़बर बन गयी । यह ऐसा गांव रहा है जहां बच्ची को जीवित नहीं रहने दिया जाता था । लोग बच्ची रखना अपना और अपने ख़ानदान का अपमान समझते थे एवं किसी को दामाद बनाना इतना असहय था मानो उनकी नाक कट गयी हो ।

डॉक्टर इन हत्यारों के सक्रिय सहयोगी की बढ़-चढ़कर भूमिका निभाते हैं । सरकार की ब्रितानी पुलिस मोटी रिश्वत खाकर डॉक्टरों पर मेहरबान रहती है । मेडिकल कौंसिल तो हमेशा ख़ामोश तमाशाई बनी रहती है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई 2013 को दिये गये एक फ़ैसले में चिंता जतायी कि नवजात बच्चों के लिंग का पता लगाने पर रोक संबंधी क़ानून को प्रभावी तरीक़े से नहीं लागू किया गया है । न्यायमूर्ति सुनील अंबवाणी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने 17 मई 2013 के एक फ़ैसले में कहा, "पिछले एक दशक में गर्भ में बच्चियों की मौत के मामले पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मौत के कुल मामलों से आगे निकल गये हैं ।" अदालत ने कहा था कि, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे सभ्य देश में कुछ लोग अपने तुच्छ फ़ायदों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लिंग का पता लगाने के लिए कर रहे हैं जिसके सर्वथा बुरे परिणाम ही सामने आ रहे हैं ।" सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अपनी एक टिप्पणी में लोगों को नसीहत की है और इस सिलसिले में वेद, उपनिषद और स्मृतियों के कई हवाले दिये हैं । कोर्ट ने राज्यों को इन हत्याओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी क़दम उठाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में राज्यों ने जो आंकड़े दिये हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं और ऐसा लगता है कि लोगों को क़ानून का डर नहीं है । लोग अपराध की संगीनी को नहीं समझ रहे हैं । पीठ के जज श्री के॰एस॰ राधाकृष्णन और श्री दीपक मिश्रा के अनुसार, इस संबंध में बने क़ानून के क्रियान्वयन न होने की वजह से महिला-पुरुष का अनुपात बिगड़ गया है । पूरे देश का औसत अनुपात एक हज़ार पुरुषों पर 962 महिलाओं का है, जो अफ़सोसनाक स्थिति है । एक आंकड़े के अनुसार, 2011 में उ॰प्र॰ में

महिला-पुरुष का लिंगानुपात 899/1000 था । गुजरात में 886, जम्मू-कश्मीर में 859 एवं हरियाणा में 830 था । देश के 640 ज़िलों में से 461 ज़िलों में जन्मानुपात काफ़ी कम था । हरियाणा में 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 774/1000 था । इस स्थिति में सुधार न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नये सिरे से क़ानून पर अमलदरामद की राज्यों को हिदायत दी । कोर्ट ने साफ़ किया कि इस समस्या पर सिर्फ़ क़ानून के ज़रिये रोक नहीं लग सकती, बल्कि इसके लिए पर्याप्त जन-जागरूकता की आवश्यकता है । कोर्ट ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों, वेदों, स्मृतियों, उपनिषदों और लोकोक्तियों में महिलाओं का सम्मान करने और धार्मिक अनुष्ठानों में उनका स्थान नियत किया गया है । कोर्ट ने यह श्लोक कोट किया–''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः''। (मनुस्मति 3-56) अर्थात, जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है, वहां देवता रमण करते हैं, और जहां इनका निरादर होता है, वहां सब काम निष्फल होते हैं ।

इसी प्रकार उपनिषद के हवाले से एक श्लोक भी उद्धृत करते हुए उसका भावार्थ बताया कि ''महिला का पति, भाई, पिता, संबंधियों की तरह सम्मान करना चाहिए । यह सम्मान करते हुए महिलाओं को आभूषण, वस्त्र आदि उपहार के तौर पर देने चाहिए । इन शिक्षाओं पर अमल न हो पाना एक बड़ी समस्या है । महिला-सम्मान की बात अन्य धर्म ग्रंथों में भी पायी जाती है । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से पूर्व अरब में महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी । उन्हें कोई अधिकार प्राप्त न था । विरासत में किसी तरह का हिस्सा न था । पैदा होते ही लड़कियों की हत्या, बलात्कार और दुराचार सामान्य बात बन चुकी थी । अरब दामाद बनाना अपना अपमान समझते थे । कुमार्गगमन और बेहयाई आम थी । महिला-शोषण की इंतिहा थी । पुरुष जितनी चाहता शादियां कर लेता, यहां तक कि सौतेली मां को भी अपनी पत्नी बना लेता । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस महिला-विरोधी गंदी मानसिकता को पूरी तरह स्वस्थ-सकारात्मक मानसिकता में बदल दिया । महिलाओं को उनके स्वाभाविक अधिकार दिये एवं आदर-सम्मान प्रदान किया । आपने लड़कियों के अच्छी तरह लालन-पालन की शिक्षा और प्रेरणा दी । उनकी हत्या पर रोक लगा दी । समाज को भ्रूण-हत्या जैसी लानत से मुक्त किया । पवित्र क़ुरआन में क़यामत (महाप्रलय) का एक दृश्य पेश किया गया है । उस दिन जो सवाल पूछे जाएंगे, उनमें यह भी होगा–''जब जीवित गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की गयी ? (81-8,9)'' इस्लाम लड़कों को लड़कियों पर प्राथमिकता नहीं देता । हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, ''जिस व्यक्ति के लड़की हो वह न तो ज़िन्दा गाड़े, न उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार करे, न उस पर अपने लड़के ही को प्राथमिकता दे, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा'' (अबू दाऊद)। हदीसों में है–''जिसने तीन लड़कियों की परवरिश की, उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध किया, उनका विवाह किया और उनके साथ बाद में भी सद्व्यवहार किया, तो उसके लिए जन्नत है'' (अबू दाऊद)। ''तुममें से जिसके तीन लड़कियां या तीन बहनें हों और वह उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो वह जन्नत में अनिवार्यतः प्रवेश पाएगा ।'' इस सिलसिले में इस्लाम की और भी शिक्षाएं हैं, जो महिला-सम्मान के लिए उभारती हैं ।

कहना बड़ों का मानो

हर हाल में प्यारे बच्चो
कहना बड़ों का तुम तो मानो
तुम छोटे हो, मन के कच्चे
भले-बुरे की समझ नहीं
सही ग़लत का पता न तुझको
भटक न जाओ राह कहीं
बड़ों की बातें हक़ में तेरे
हर पल उन बातों को जानो
पढ़ो-लिखो, नेकी अपनाओ
जीवन को यूं और निखारो
छोटी-छोटी चीज़ों पर भी
ग़ौर करो तुम उन्हें संवारो
करो इरादा पुख़्ता-पक्का
कुछ ऊंचा करने की ठानो
नाम उसी का इस दुनिया में
सदा-सदा रोशन रहता है
अच्छे-अच्छे काम जो करता
बेहतर बातें जो कहता है
छू लो तुम आकाश उछलकर
अपनी ताक़त को पहचानो ।

● अभिराम सत्यज्ञ जयशील

(1)

भ्रष्टाचार में ईमानदारी !?

छोटी से छोटी नौकरी वाले
सरकारी कर्मचारी पर पड़े छापे में
करोड़ों की सम्पत्ति निकलने पर
स्वाभाविक ही मन में यह
जिज्ञासा होती है
कि आय से कहीं अधिक
यह अथाह कमाई कहां से आयी
एक अदना से मुलाज़िम ने
कैसे अर्जित की
किन साधनों से जुटायी !?

ज़ाहिर है कि वह अकेला
केवल अपने बल बूते पर
ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाता
अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाता
भ्रष्टाचरण की गहरी दलदल में
यूं गले-गले तक नहीं उतर जाता ।

कठिन नहीं है अनुमान लगाना
कि किसी विभाग के
छोटे से कर्मचारी ने यदि
इतना माल बनाया है
तो उसके ऊपर वालों ने
कितना कमाया होगा ?
पद एवं अधिकार के अनुपात में
नीचे से ऊपर तक
किस-किस के हिस्से में
कितना-कितना आया होगा !

क्योंकि अब ढकी-छुपी कोई बात नहीं
सब खुला खेल फ़र्रूख़ाबादी है
घूस के बंटवारे में हर जगह
तय नियमों का अनुपालन है
पूरा सहयोग है ईमानदारी है !?

(1)

भुलावा

गोरा बनाने वाले लोशनों
क्रीमों की बाज़ार में भरमार है ।
हर टी०वी० चैनल पर हर अख़बार में
इन प्रसाधनों के लुभावने इश्तिहार हैं ।
लोकप्रिय फिल्मस्टार करोड़ों लेकर
इनकी विज्ञापनबाज़ी करते हैं ।
महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी
इनके प्रयोग हेतु प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं ।
विज्ञापन निर्माता नित नये-नये
फार्मूले और तरीक़े आज़माते हैं ।
विज्ञापनों को अधिक से अधिक
आकर्षक अपीलिंग लुभावना बनाते जाते हैं ।
नयी उमर के किशोर-किशोरियां
युवक-युवतियां ही नहीं
अधेड़ आयु के पुरुष-महिलाएं भी
बढ़-चढ़कर इन महंगे प्रसाधनों का
भरपूर उपयोग करते रहते हैं,
मन ही मन अपने को गोरा होता मान
संतुष्ट और प्रसन्न होते रहते हैं ।
वैवाहिक विज्ञापनों में गोरी वधु की ही
मांग विशेष रूप से की जाती है ।
सांवले ही नहीं काले-कलूटे की मां भी
दूधिया रंग की गोरी बहू ही चाहती है ।
जानकार बताते हैं कि इन लोशनों क्रीमों से
त्वचा के प्राकृतिक रंग में कोई बदलाव नहीं आता,
इन महंगे प्रसाधनों के इस्तेमाल से भी
गेहुएं रंग वाला चिट्टा गोरा नहीं हो जाता ।
फिर भी लाखों गोरा होने की चाह में
भुलावे में जीते हैं बेकार में पैसा लुटाते हैं ।
सिर चढ़कर बोलते गोरेपन के क्रेज़ से
मुक्त नहीं हो पाते हैं !

● **ओमप्रकाश बजाज**
बी-2, गगन विहार, गुप्तेश्वर, जबलपुर (म०प्र०)

خطبات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

موجودہ عہد کے لسانی وفکری مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت وضرورت پر دل نشیں اور آسان انداز میں یقین آفریں کتاب۔

اردو

اول	[حقیقتِ ایمان]		16.00
دوم	[حقیقتِ اسلام]		16.00
سوم	[حقیقتِ صوم وصلوٰۃ]		22.00
چہارم	[حقیقتِ زکوٰۃ]		18.00
پنجم	[حقیقتِ حج و جہاد]		24.00
خطبات مکمل			125.00 [HB] 100.00 [PB]

ہندی

اول	[ایمان کی حقیقت]	19.00
دوم	[اسلام کی حقیقت]	18.00
سوم	[نماز، روزہ کی حقیقت]	23.00
چہارم	[زکوٰۃ کی حقیقت]	18.00
پنجم	[حج کی حقیقت]	17.00
خطبات مکمل		95.00

انگریزی

Fundamentals of Islam - I	28.00
Fundamentals of Islam - II	30.00
Fundamentals of Islam - III	28.00
Fundamentals of Islam - IV	26.00
Fundamentals of Islam - V	30.00
Fundamentals of Islam	130.00 PB 160.00HB

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS
NEW DELHI
مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی ۲۵

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com • **Website:** www.mmipublishers.net

जीवन साथी

■ डॉ॰ सलीम ख़ां

डॉक्टर अविनाश और एडवोकेट संतोश विहार लेक के किनारे एक रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां ले रहे थे । उनकी पत्नियां शांति और आकांक्षा दूर बैठकर ताज़ा फलों का रस पी रही थीं, और उनके बेटे विकास और सुभाष पानी में खेल रहे थे । बातें करते हुए संतोष की निगाह जब बच्चों पर पड़ी तो उसने कहा, ''अविनाश, तुम्हें याद है ना...किसी ज़माने में हम दोनों भी विकास और सुभाष की तरह जुहू पर समुद्री तट पर इसी प्रकार खेला करते थे और हम दोनों के डैडी एक तरफ़ हमारी तरह बैठे सिग्रेट फूंका करते थे ।''

अविनाश ने सहमति जतायी और कहा, ''मुझे ये भी याद पड़ता है कि हमारी माताएं हम चारों से अलग-थलग एक-दूसरे के साथ बातों में मग्न रहती थीं, जिस तरह शांति और आकांक्षा इस वक़्त बातों में लगी हुई हैं । बिल्कुल सारी दुनिया से बेख़बर !''

''हां-हां मुझे याद है...'' संतोष बोला, ''...और उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं । जैसे इन दोनों की बातों का कभी अंत नहीं होता...और फिर हमारे डैडी ज़बरदस्ती उन दोनों को अलग कर दिया करते थे, जिस तरह थोड़ी देर बाद हम करेंगे...और फिर हमारी मांए हमको बुलाती थीं, जिस तरह शांति और आकांक्षा विकास और सुभाष को बुलाएंगी...और फिर हम से नाराज़ हो जातीं, जैसे कि वह उनसे हो जाएंगी...और फिर हम अपने डैडी की तरफ़ चल पड़ते, जिस तरह ये चल पड़ेंगे...और फिर हम अपने डैडी के स्कूटर पर बैठकर अपने घरों को निकल जाते, जिस तरह अभी कुछ देर बाद हम अपनी-अपनी कारों में बैठकर घर चले जाएंगे ।''

''लेकिन इससे पहले पानी पुरी के लिए ज़िद करना तुम्हें याद है ? और हां, मना करने के बाद भी ज़िद पर अड़े रहना और माता-पिता को मजबूर करना भी याद होगा । विकास और सुभाष भी यही करने वाले हैं ।''

''यार मैं सोचता हूं कि युग बदल गया है । तीस सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गयी है, परंतु इन्सान और उसका स्वभाव नहीं बदला ।''

''हां संतोष...तू सही कहता है । न पीढ़ियों की दूरियां समाप्त हुई हैं और न लिंग के आधार पर पायी जाने वाली समानताओं में कोई अन्तर आया है । पहले भी हमारे मम्मी-डैडी की दिलचस्पी अलग-अलग विषय में होती थी, अब भी ऐसा ही है । हम लोग उनसे दूर-दूर रहा करते थे, आजकल भी वहीं कुछ है । ऐसा लगता है कि कुछ बदला ही नहीं है ।''

डॉक्टर अविनाश और एडवोकेट संतोष बचपन के यार थे । एक मुहल्ले में रहते थे । एक स्कूल में पढ़ते थे । एक साथ आते-जाते थे । एक साख खेलते थे । हालांकि दोनों के मिज़ाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ था । अविनाश शोख़ और चंचल था, जबकि संतोष शांत और कोमल था । इसके बावजूद उनमें पक्की दोस्ती थी । वो एक-दूसरे को भाइयों से भी ज़्यादा चाहते थे । स्कूल की पढ़ाई के बाद दोनों के रास्ते बदल गये । एक ने विज्ञान के विषय लिए तो दूसरे ने कला का क्षेत्र चुना । दोनों के एक साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की । उसके बाद एक ने डॉक्ट्रेट का रास्ता अपनाया और दूसरा क़ानून की किताबें पढ़ने लगा ।

दोनों ने लगभग एक साथ शिक्षा पूरी की । अविनाश को एक बड़ी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में नौकरी मिल गयी और संतोष को देश के एक बड़े व्यापारी समूह ने अपना क़ानूनी सलाहकार नियुक्त कर लिया ।

उसके बाद शादी का वक़्त आया तो वो भी लगभग साथ ही हुई अविनाश की शादी कॉलेज के प्राधयापक की कन्या शांति से हो गयी और संतोष ने एक बड़े उद्योगपति की बेटी आकांक्षा से विवाह रचा लिया ।

दो साल बाद उन दोनों ने लड़कों को जन्म दिया । विकास और सुभाष की आयु में बस तीन महीने का अन्तर था । दोनों दोस्तों के जीवन में अनेक समानताएं और विभिन्नताएं थीं ।

डॉक्टर अविनाश की गिनती देश के बड़े वैज्ञानिकों में

होने लगी । वो दिन रात अपनी प्रयोगशाला में काम करते रहते थे । जिस वैज्ञानिक सम्मेलन में जाते, वहां पर छा जाते और सारे लोगों का मन मोह लेते थे । आये दिन अख़बारों में उनके इंटरव्यूज़ छपते रहते थे । वे कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके थे । लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद उनकी पत्नी शांति उनसे संतुष्ट नहीं थी । उसका कहना था कि डॉक्टर अविनाश जितना समय घर से बाहर बिताते हैं, उसका 10 प्रतिशत भी घर में नहीं रहते थे । सारी दुनिया के लिए उनके पास फ़ुर्सत है लेकिन घर वालों के लिए नहीं । वे कभी सूरज ढलने से पहले घर नहीं आते । विकास को वे सोया हुआ ही छोड़कर जाते हैं और वापस आते हैं तो सोया हुआ पाते हैं ।

अविनाश के इस व्यवहार के कारण शांति अपनी ज़िन्दगी में बहुत बड़ी कमी महसूस करती थी । जब काफ़ी समय इस तरह बीत जाता तो वह आकांक्षा को अपने घर बुला लेती या उनके घर जाने का कार्यक्रम बना लेती । डॉक्टर अविनाश के लिए यही एक दावत ऐसी होती थी जिसको टालना असंभव था । लेकिन ऐसा मौक़ा भी साल में एक दो बार ही आता था ।

इधर संतोष के घर का मामला उसके घर से बिल्कुल विपरीत था । संतोष की ज़िन्दगी दफ़्तर से घर और घर से दफ़्तर का भ्रमण करती रहती थी । दफ़्तर से निकलने वाली गाड़ियों में सबसे पहले संतोष की गाड़ी होती थी । वह सीधे अपने घर आता, पत्नी की ख़ैर-ख़बर लेता, सुबह का अख़बार शाम को पढ़ता और फिर टी०वी० लगाकर समाचार देखने लगता । टी०वी० का रिमोट हमेशा उसके हाथ में होता ।

समाचार चैनलों कातो वह दीवाना था । इस बीच बच्चे के साथ वार्तालाप करता, उसके साथ हंसता-बोलता, उसका होमवर्क करवाता । बीवी खाना लगा देती तो खा लेता और फिर टहलने के लिए निकल जाता ।

वो आकांक्षा को भी साथ चलने की दावत देता, परंतु आकांक्षा की रुचि टहलने में नहीं बल्कि औरतों के घरेलू टी०वी० सीरियल देखने में थी । वह अमीर घरानों की औरतों की राजनीति पर बने ड्रामों में खोयी रहती थी । दरअस्ल आकांक्षा का संबंध भी एक धनवान घराने से था । इसलिए उन सीरियल के पात्रों में आकांक्षा को कहीं अपनी मां नज़र आती तो कहीं अपना बाप । वह उनमें कभी अपने भाई को देखती तो कभी भाभी को । सबके सब दौलत के नशे में चूर. एक-दूसरे को जायदाद से वंचित करने में व्यस्त रहते थे । रोचक षड्यंत्रों में उलझी हुई ये घिसी-पिटी कहानियां आकांक्षा को बहुत अच्छी लगती थीं ।

इस बीच एक नया सीरियल शुरू हुआ जिसका हीरो देश का एक बहुत बड़ा वकील था । वह बहुत ही लोकप्रिय था, हर तरफ़ उसके चर्चे थे, वह कुख्यात अपराधियों को बड़े आराम से छुड़ा लेता था । वरिष्ठ नेताओं का वह मित्र था । आये दिन उसकी ख़बरें समाचार पत्रों में छपती रहती थीं । अदालत में हर पेशी पर वह हज़ारों रुपये लेता था । उसकी कोठी महल समान थी ।

आकांक्षा जब भी उस सीरियल को देखती तो उसको संतोष पर गुस्सा आने लगता था । इसलिए कि वह भी एक वकील था लेकिन उसे कभी अदालत जाने की इच्छा नहीं हुई थी । देश तो क्या, आस-पड़ोस के लोग भी उसे नहीं जानते थे कि एडवोकेट संतोष कौने है ? आज तक उसने किसी आरोपी का तो क्या, किसी बेक़सूर का मुक़दमा भी नहीं लड़ा था । अजीब बे-रंग ज़िन्दगी गुज़ार रहा था संतोष ।

ग्लैमर की दुनिया से उसका कोई लेना-देना नहीं था । अपना दफ़्तर, अपना घर, अपना बॉस और अपनी बीवी, यही संतोष की पूरी दुनिया थी और इसी में वह मस्त था ।

आकांक्षा ने उसे कई बार समझाया, झिंझोड़ा, डांटा-डपटा, सब कुछ करके देख लिया लेकिन संतोष के कानों पर जूं तक न रेंगी ।

संतोष फिर मुस्कुराया । ''मेरी जान...तलाक़ की बात तो मैंने सिर्फ़ तुम्हें डराने के लिए कही थी । वरना कौन ज़ालिम इतनी अच्छी बीवी को तलाक़ देता है । लेकिन डार्लिंग...तुम्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि मैं जितना तुम्हारा ख़याल रखता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, वो तुम्हारा फ़िल्मी किरदार टी०वी० के पर्दे पर भी अपनी पत्नी की इतनी ख़िदमत नहीं करता ।

आकांक्षा ने कहा, तुम मेरा बहुत ख़याल नहीं रखते... लेकिन संतोष...ज़ीवन इसी का नाम तो नहीं है। मुझे इसके साथ बंगला, गाड़ी, ठाट-बाट, धन-दौलत और शोहरत...यह सब कुछ भी चाहिए । इनके बग़ैर जीवन व्यर्थ है ।''

''लेकिन ये सब एक साथ नहीं आता ।'' संतोष ने

कहा, ''एक को दूसरे की क़ीमत पर हासिल करना पड़ता है, और मैं अपने पारिवारिक जीवन की शांति भंग करके यह प्राप्त करना नहीं चाहता।'' संतोष का उत्तर सुनकर आकांक्षा उदास हो गयी और उठकर अपने शयनकक्ष में चली गयी।

इस विषय पर संतोष और आकांक्षा की नोक-झोंक कोई नयी बात नहीं थी। लेकिन आज ये तू-तू-मैं-मैं सारी सीमा पार कर गयी थी। संतोष देर तक बैठा सोचता रहा, आख़िर क्या करे ? उसे कुछ भी सुझायी नहीं देता था। ऐसे में अपने परम मित्र अविनाश का विचार उसके मन में आया और उसकी उंगली फ़ोन पर चलने लगी। अविनाश के घर फ़ोन उसकी बीवी ने उठाया। ''हैलो'' की आवाज़ सुनकर संतोष ने फ़ोन रख दिया। इसलिए कि शांति से बात करने का मतलब था आकांक्षा से बात करवाना और वह ऐसा नहीं चाहता था। उसने फिर मोबाइल पर अविनाश को फ़ोन किया और अविनाश ने फ़ौरन जवाब दिया, ''बोल संतोष, क्या हाल हैं ?''

संतोष ने ज़वाब दिया, ''यार हाल अच्छे नहीं हैं।''

ये सुनकर अविनाश चौंक पड़ा। तीस साल की दोस्ती में पहली बार संतोष के मुंह से उसने यह शब्द सुने थे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर पूछा, ''क्यों भई...ख़ैरियत तो है। मज़ाक़ तो नहीं कर रहे हो ?''

''अविनाश...मैं कह चुका हूं कि ख़ैरियत नहीं है, और मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा हूं। फ़िलहाल तुम ये बताओ कि तुम कहां हो ? शहर में या कहीं बाहर ?''

अविनाश ने झुंझलाकर कहा, ''मैं तो घर पर ही हूं। बताओ क्या ख़िदमत की जाए ?''

''अविनाश, दरअस्ल बात यह है कि मैं तुम से मिलना चाहता हूं।''

''इतनी रात गये...ख़ैरियत तो है ?''

''अविनाश, मैं तुम से बार-बार कह चुका हूं कि ख़ैरियत नहीं है। मैं तुम से इसी समय मिलना चाहता हूं।''

अविनाश ने कहा, ''ठीक है, अब बताओ कि कहां मिलना है ? तुम मेरे घर आते हो या मैं तुम्हारे घर जाऊं ?''

''नहीं...हम लोग घर पर नहीं मिलेंगे। हम किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिलते हैं।''

ये सब बातें अविनाश के लिए नयी थीं।

संतोष और अविनाश दस मिनट में सुनिश्चित स्थान पर पहुंच गये। वहां पहुंचकर संतोष ने आज की सारी घटना बता दी और कहा, ''अविनाश...अब ये सब बातें बर्दाश्त के बाहर हो गयी हैं। मेरी सहनशक्ति ने जवाब दे दिया है। पहले नोक-झोंक कभी-कभार हुआ करती थी। अब कभी-कभार ऐसा होता है कि तू-तू मैं-मैं न हो। तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। ये सब मेरे बस की बात नहीं है।''

अविनाश ने संतोष की बात सुनकर कहा, ''यार...ये समस्या तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी है। शांति मेरी सारी सफलताओं के बाद भी मुझ से नाराज़ रहती है। उसके लिए मेरी शोहरत, मेरा मान-सम्मान, मैडल्स, पुरस्कार, सब बेकार हैं। वह चाहती है कि मैं भी दूसरों की तरह शाम पांच बजे दफ़्तर से छूटकर उसकी सेवा में आ जाया करूं। ना देर तक काम करूं, ना नये-नये आविष्कार करूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं ? उसकी बार-बार की रोट-टोक ने मुझे तो परेशान करके रख दिया है। मेरे भीतर एक दोष भावना जन्म ले रही है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, वही सब कुछ मेरे साथ भी होता है। फ़र्क़ केवल इतना है कि शांति नर्म आंच है और आकांक्षा भड़कता शोला...लेकिन दोस्त, दोनों के ज़ख़्म बराबर हैं।''

दोनों जुहू बीच पर चलते हुए एक रेस्टोरेंट में आ गये। चाय की चुसकियां लेते हुए सोचते रहे कि क्या किया जाए। चाय ख़त्म करते-करते अविनाश ने कहा, ''हम ऐसा करते हैं, डॉक्टर नायक से मिलते हैं।''

''ये डॉक्टर नायक कौन हैं ? तुम्हारे साथ काम करते हैं क्या ?'' संतोष ने पूछा।

''नहीं...'' अविनाश बोला, ''ये हमारी लाईन का डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं। हमें अपनी परेशानी के लिए उनसे संपर्क करना चाहिए।

अविनाश ने डॉक्टर नायक से अगले दिन मुलाक़ात का वक़्त लिया और संतोष को उनके दवाख़ाने का पता बतलाकर अपने घर आ गया। संतोष भी घर जाकर सो गया।

दूसरे दिन दोनों दोस्तों ने अपनी-अपनी कहानी डॉक्टर नायक को सुनायी। डॉक्टर नायक ने उनसे कई प्रश्न किये और अपना सुझाव उनके सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि तुम दोनों के स्वभाव अपनी पत्नियों से बिल्कुल विपरीत हैं इसलिए तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी भी संतोषजनक नहीं रह सकता।''

''लेकिन डॉक्टर साहब...'' संतोष बोला, ''हम दोनों

के स्वभाव भी एक दूसरे से अलग हैं, इसके बावजूद तीस साल से हमारी मित्रता अटूट है । अगर मिज़ाज में फ़र्क़ के बावजूद हमारी दोस्ती क़ायम रह सकती है तो वैवाहिक जीवन संतोषजनक क्यों नहीं रह सकता ?''

डॉक्टर नायक ने कहा, ''प्रश्न दिलचस्प है । मगर दोस्ती और शादी में फ़र्क़ है । दोस्ती में प्रेम तो होता है, मगर निर्भरता नहीं होती । लेकिन वैवाहिक जीवन में प्रेम हो न हो, निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है । यही निर्भरता आगे चलकर अपेक्षाओं को जन्म देती है । यहीं विभिन्न स्वभाव के जोड़ों में कलह निर्माण होने लगती है परंतु दोस्ती में ये नहीं होता । इसलिए दोस्तों के तौर-तरीक़े अलग होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, लेकिन पति-पत्नी में इससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं । एक बात और है...'' डॉक्टर नायक बोले, ''दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे से अपेक्षापूर्ति में अभाव के कारण बहुत जल्दी मोह भंग हो जाता है । दोस्ती में अपेक्षाओं की कमी के कारण ऐसा नहीं होता ।''

अविनाश ने कहा, ''डॉक्टर साहब, ये सब तो ठीक है । लेकिन अब हमारी समस्या का समाधान बताइए । हम करें तो क्या करें ? हम ख़ुश रहना चाहते हैं ।''

डॉक्टर नायक ने कहा, ''इस अवस्था में तो आप लोग खुश नहीं रह सकते ।''

संतोष ने पूछा, ''लेकिन साहब, इन हालात के लिए कौन ज़िम्मेदार है ? कौन क़सूरवार है ?''

''वैसे देखा जाए तो आप चारों की कोई ग़लती नहीं है । तुम सब व्यक्तिगत रूप से ठीक-ठाक हो, लेकिन तुम्हारा जोड़ ठीक नहीं है ।''

''क्या मतलब ?'' दोनों ने एक साथ पूछा ।

डॉक्टर नायक ने कहा, ''तुम लोग गाड़ी चलाते हो । एक उदाहरण के माध्यम से मैं तुम्हें ये बात समझाने का प्रयत्न करता हूं । हर चालक अपनी गाड़ी की गति निर्धारित करने का अधिकार अपने पास अवश्य रखता है, परंतु उसे अपनी रफ़्तार के हिसाब से ट्रैक का चयन करना चाहिए । अगर तेज़ गति से चलने वाला चालक धीमी ट्रैक पर गाड़ी चलाए तो अगले की मंद गति पर झुंझलाहट का शिकार होता है । इसी प्रकार अगर धीमा चलने वाला फास्ट ट्रैक पर चले तो अपने पीछे वालों को परेशान करता है । ये दोनों लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं, हालांकि क़सूर उनका अपना होता है ।''

''लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा हर आदमी को अपनी गति निश्चित करने का अधिकार है ।''

''जी हां...मैंने कहा था ।'' डॉक्टर नायक बोले, ''लेकिन ये भी कहा था कि हर आदमी को अपनी रफ़्तार के मुताबिक़ अपने ट्रैक को चुनना चाहिए । अगर ऐसा न किया जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है ।''

अविनाश बोला, ''डॉक्टर साहब, वह तो ठीक है; लेकिन हम क्या करें । अब तो हम इस ट्रैक पर आ ही गये हैं ।''

''ठीक है ।'' डॉक्टर नायक ने कहा, ''अगर आप लोग इसी ट्रैक पर चलना चाहते हैं तो अपनी-अपनी गति बदल दीजिए ।''

''हम अपनी रफ़्तार बदल दें...!'' संतोष ने हैरत से पूछा, ''ये कौन हो सकता है ? ये असंभव है ।''

डॉक्टर नायक बोले, ''बहुत ख़ूब, तुम्हें अपनी परेशानी का एहसास है लेकिन दूसरों की नहीं । जो चीज़ तुम्हारे लिए कठिन है, वह दूसरों के लिए सरल कैसे हो सकती है ?''

अविनाश ने कहा, ''लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि मुहब्बत हर मुश्किल को आसान कर देती है । अगर हमारी बीवियों के दिलों में हमारे लिए प्रेम है तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए ।''

डॉक्टर नायक बोले, ''अविनाश...तुम्हारा ये तर्क तो बड़ा जानदार है । तुम्हें वैज्ञानिक होने के बजाए नेता होना चाहिए था । मैं पूछता हूं...अगर तुम्हारे दिल में उनके लिए मुहब्बत है तो तुम्हें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और चूंकि तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसका मतलब है कि प्रेम नहीं है...और जब तुम्हारे दिल में उनके लिए मुहब्बत नहीं है तो उनके दिलों में तुम्हारे लिए प्रेम भावना कैसे हो सकती है ? इसलिए कि प्रेम वह भावना है जिसकी क्रिया और प्रतिक्रिया एक समान होती है ।''

संतोष बिगड़ गया, ''डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं ? आपका मतलब है कि हम लोगों के अन्दर एक-दूसरे के लिए मुहब्बत का जज़्बा नहीं पाया जाता ? अगर ऐसा है तो हमारे संबंधों का आधार क्या है ?''

डॉक्टर नायक बोले, ''संतोष, धीरज रखो । हक़ीक़त कड़वी हो तब भी उसका सामना करना चाहिए । सच तो ये है कि मुहब्बत और हुकूमत में बहुत मामूली फ़र्क़ है । प्रेमी अपने परमप्रिय की इच्छा के अनुसार ढल जाने को

अपना सौभाग्य समझता है और सत्ता में स्वामी अपने दास को अपनी मर्ज़ी के अनुसार ढाल देने को अपना अधिकार समझता है । अब तुम खुद निर्णय कर सकते हो कि तुम्हारे बीच मुहब्बत है या सियासत ?''

''लेकिन एक बीच की स्थिति भी तो होती है, जिसमें दोनों अपने अन्दर थोड़ी-बहुत लचक पैदा करें...मेरा मतलब है आपस में समझौता कर लें । क्या इसे आप मुहब्बत नहीं कहेंगे ?'' संतोष ने पूछा ।

''नहीं ।'' डॉक्टर बोले, ''वह तो तिजारत यानी कारोबार में होता है, परंतु ऐसा करने के बाद फिर हिसाब-किताब होता है । जिसने अपने अन्दर कम परिवर्तन किया, वह अपने आपको फ़ायदे में समझता है और जिसको ज़्यादा बदलाव लाना पड़ा, उसे लगता है कि वह नुक़सान में रहा । जबकि मुहब्बत में फ़ायदा-नुक़सान का चक्कर ही नहीं होता है ।''

लेकिन हर इन्सान हर किसी इच्छा के अनुसार अपने आपको ढाल तो नहीं सकता, तो वह मुहब्बत कैसे कर सकता है ?''

डॉक्टर नायक बोले, ''तुम्हारी बात सही है । हर इन्सान को यह चयन करने का हक़ है कि वह किसी से प्यार करे या न करे । लेकिन अगर वह प्यार करने का निर्णय लेता है तब तो उसे अपनी इच्छा का त्याग करना अनिवार्य है इसलिए कि प्रेम सूत्र यही है । इसी प्रकार इन्सान यह भी तय कर सकता है कि सि पर हुकूमत करे, किस पर न करे । लेकिन वह जिस किसी पर हुकूमत करेगा उससे वही अपेक्षा करेगा जो एक शख़्स करता है । यह प्रकृति का ऐसा नियम है जिसका पालन चाहे न चाहे सभी करते हैं ।''

दोनों कुछ क्षणों के लिए ख़ामोश हो गये । फिर अविनाश ने पूछा, ''डॉक्टर साहब, एक बात बताइए । प्रशासन में जनता अपने शासक पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलाना चाहती, लेकिन यहां दोनों एक-दूसरे पर अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं ।''

''इसका कारण यह है कि...''डॉक्टर नायक ने कहा, ''एक परिवार के अन्दर पति तो इसलिए अपनी चलाना चाहता है कि वह पतिदेव होने के नाते अपने आपको पत्नी का स्वामी समझता है, और पत्नी इस डर से उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती है कि वह कहीं किसी और का स्वामी न बन जाए और उसका अपना समुचा अधिकार समाप्त न हो जाए । इसलिए वह उसे अपना आज्ञाकारी दास बनाकर रखना चाहती है । वैसे दोनों के बीच चूंकि प्रेम बंधन के अलावा ज़रूरत का रिश्ता होता है, इसलिए जब तक आपस में एक-दूसरे की आवश्यकता पूरी होती रहती है, संबंध अच्छे रहते हैं और जब पूरी नहीं होती तो रिश्तों में दरार आ जाती है ।''

''लेकिन हम तो अपनी बीवियों की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं ।'' संतोष ने कहा ।

डॉक्टर नायक बोले, ''आमतौर पर भौतिक और शारीरिक ज़रूरतों को ही सब कुछ समझ लिया जाता है । हालांकि भावनात्मक पहलू अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ।''

''ठीक है...हम ये मान लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम एक-दूसरे से विभिन्न हैं और उसमें परिवर्तन संभव नहीं है । इसलिए आप कोई पर्याय सुझाएं ।''

डॉक्टर साहब बोले, ''पर्याय तो यह है कि अगर तुम अपनी गति नहीं बदल सकते तो ट्रेक बदल दो । ये आसान काम है ।''

डॉक्टर नायक के शब्दों से मानो एक परमाणु विस्फोट हो गया जिससे दोनों मित्र हताहत हो गये । उन दोनों ने कभी सोचा भी न था कि ऐसा भी हो सकता है । दोनों के मस्तिष्क में एक भूचाल आ गया था । अविनाश ने किसी तरह अपने आपको संभाला और बोला, ''बात तो शायद ठीक है लेकिन...!'' फिर रुक गया ।

डॉक्टर साहब बोले, ''लेकिन क्या ?''

''लेकिन मैं पहल करने का साहस अपने अन्दर नहीं पाता ।''

संतोष ने भी अविनाश से सहमति जतायी ।

डॉक्टर नायक बोले, ''आप लोग इसकी चिंता न करें । मैं उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा ।''

दोनों ने एक साथ कहा, ''ये ठीक है ।'' उसके बाद वे दोनों दोस्त अपने विचारों की दुनिया में खो गये । उन्हें अपनी मंज़िल सामने दिखायी देती थी लेकिन बीच में बहुत गहरी और बड़ी खायी थी । उन्हें विश्वास था कि आकांक्षा और शांति उस प्रस्ताव को सुनकर आग बगूला हो जाएंगी और ऐसा कभी न हो सकेगा । डॉक्टर नायक से अगली मुलाक़ात का समय लेकर वे वहां से चले आये । देर तक साथ चलते रहे लेकिन एक दूसरे से कुछ न बोले । एक अजीब वातावरण बन गया था जिसमें उनकी ज़बानें गूंगी हो गयी थीं ।

दो दिन बाद ये दोनों दोस्त अपनी-अपनी पत्नियों के साथ डॉक्टर नायक से मिलने पहुंचे । डॉक्टर नायक ने पहले हर एक से अलग-अलग बातचीत की, फिर दोनों को एक साथ बुलाकर विचार विनिमय किया । अपेक्षा के विपरीत दोनों औरतों की तरफ़ से उस प्रकार के प्रश्नों की बौछार नहीं हुई जैसे अविनाश और संतोष करते रहे थे । प्रस्ताव सुनने के बाद दोनों महिलाएं सोच-विचार में पड़ गयीं । फिर आकांक्षा ने पूछा, ''बात तो ठीक है लेकिन...'' और वो रुक गयीं ।

डॉक्टर नायक ने कहा, ''मैंने इन दोनों को समझा दिया है ।''

शांति बोली, ''लेकिन बच्चे ?''

डॉक्टर साहब ने कहा, ''वैसे तो बच्चा अपने बाप का होता है और उसकी संपत्ति का वारिस भी होता है । लेकिन फ़िलहाल आप लोग इस समस्या का समाधान इस तरह कर सकते हो कि बच्चों से उनकी इच्छा पूछ लें कि वे माता के साथ रहना चाहते हैं या पिता के साथ । वे जिसके साथ रहना चाहें उसी के साथ रहने दिया जाए ।''

आकांक्षा और शांति जब डॉक्टर नायक के कमरे से प्रतीक्षा कक्ष में आयीं तो देखा दोनों दोस्त हारे हुए जुआरी की तरह बैठे हैं । दोनों कनखियों से एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरायीं । फिर आकांक्षा बोली, ''हैलो एवरी बडी...ये क्या...तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे ऑपरेशन थिएटर से हमारी लाशें बाहर आने वाली हैं ?''

अविनाश बोला, ''नहीं-नहीं कुछ नहीं । वह बस हम यूं ही...कुछ नहीं कुछ नहीं...।''

शांति ने अविनाश का हाथ थामते हुए कहा, ''चलो अविनाश, विकास स्कूल के बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा । मैंने उसे मेकडोनाल्ड ले जाने का वादा किया था ।''

''हां...हां ।'' अविनाश बोला, ''वह तो मैं भूल ही गया था ।'' शांति बोली, ''इसमें कोई नयी बात नहीं । तुम्हें ये सब कब याद रहता है । हमें देर हो रही है ।''

उन दोनों के चले जाने के बाद संतोष बोझल क़दमों से उठा और धीरे-धीरे गाड़ी की तरफ़ बढ़ने लगा । वह ख़ामोश था और काफ़ी देर ख़ामोश रहा । जब घर क़रीब आ गया तो उसने डरते-डरते पूछा, ''डॉक्टर नायक ने कुछ कहा तो नहीं ?''

आकांक्षा ने कहा, ''कैसी बातें करते हो संतोष...डॉक्टर नायक से हम मिलने जाएं और वह कुछ न कहें...? अगर वह ऐसा करेंगे तो उन्हें फ़ीस कौन देगा ?''

संतोष ने कहा, ''हां वह तो ठीक है लेकिन...उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया ?''

''नहीं संतोष...वे इतने बड़े मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, वे ऐसी वैसी बात कैसे कह सकते हैं । वे ठीक ही कहते हैं कि हमें हक़ीक़त पसन्द होना चाहिए ।'' आकांक्षा के इस वाक्य ने संतोष के होश उड़ा दिये ।

एक हफ़्ते के अन्दर बच्चों की राय मालूम कर ली गयी । अविनाश के विकास ने मां के साथ रहना पसन्द किया और संतोष के सुभाष ने बाप के साथ, जो स्वाभाविक था । इस तरह दोनों बच्चे एक साथ हो गये । संतोष ने पहली बार तलाक़ के काग़ज़ात तैया किये वह भी अपने और अपने परम मित्र के लिए...जिस दिन दोनों की तलाक़ के काग़ज़ात न्यायालयों में जमा हुए, उसी दिन तलाक़ लागू हो गयी इसलिए कि किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और नया विवाह भी रजिस्टर्ड हो गया ।

दूसरे दिन समाचार पत्रों में ख़बर छपी कि डॉक्टर अविनाश ने आकांक्षा के साथ शादी कर ली । कई लोगों ने उसकी पहली पत्नी शांति पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध भी लंबे-चौड़े लेख लिखे । मगर वे नहीं जानते थे कि शांति ने भी संतोष, विकास और सुभाष के साथ अपने जीवन का नया अध्याय शांतिपूर्वक प्रारंभ कर दिया है ।

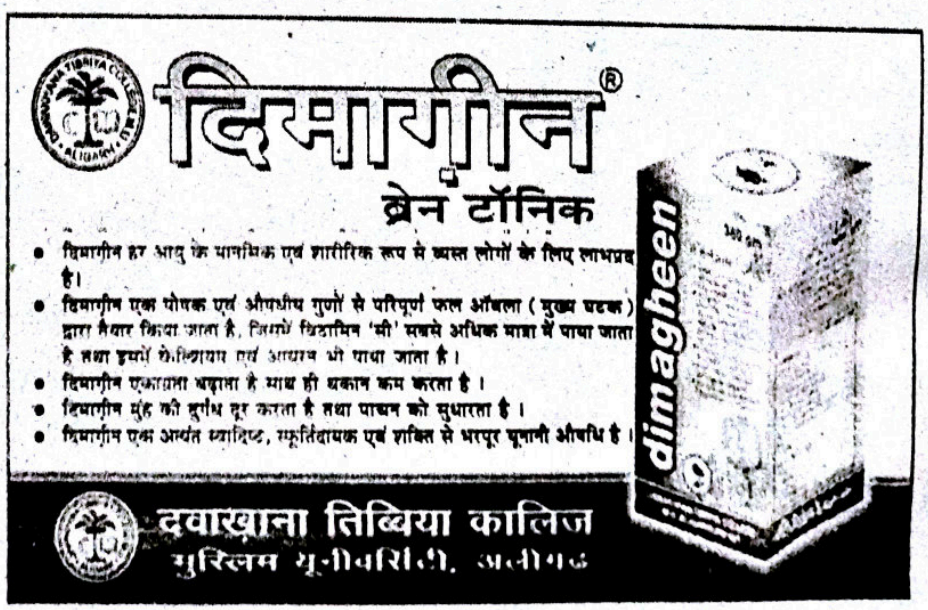

हिरोशिमा की त्रासदी से सीरिया तक...

❖ जॉन पिल्जर

मेरे कमरे की दीवार पर 5 सितम्बर 1945 के 'डेली एक्सप्रेस' का मुखपृष्ठ चिपका हुआ है जिस पर निम्नलिखित पंक्ति छपी है–

'मैं यह दुनिया को चेतावनी देने के लिए लिख रहा हूं।' हिरोशिमा से विलफ्रेड बर्शेट की रिपोर्ट इसी पंक्ति के साथ शुरू हुई थी। यह रिपोर्ट शताब्दी की सबसे बड़ी ख़बर थी। अमेरिकी अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए ख़तरा मोल लेकर पत्रकार बर्शेट हिरोशिमा पहुंच गये थे। उनके इस साहसिक कार्य के लिए प्रशासन को क़लम बेचने वाले पत्रकारों ने उनकी कम लानत- मलामत नहीं की थी। बर्शेट ने चेतावनी दी थी कि एक सुनियोजित तरीक़े से अभूतपूर्व पैमाने पर जो नरसंहार किया गया है, उसने आतंक के एक नये युग की शुरुआत कर दी है।

आजकल लगभग हर रोज़ बर्शेट की यह बात सच साबित हो रही है। एटम बम गिराकर अमेरिका ने जो आपराधिक कार्रवाई की थी, उसे दस्तावेज़ तो अमेरिका के राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुए हैं, लेकिन वह आपराधिकता अब इस रूप में जारी है कि उसके बाद आये सैन्यवाद के दशकों पर जनतंत्र का मुलम्मा चढ़ा दिया गया है। सीरिया में आज जो मनोवैज्ञानिक ड्रामा हो रहा है, वह उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। बावजूद इसके हमारी चेतना को आज भी आतंकवाद की संभावना दिखलाकर बंधक बना लिया गया है जिसकी प्रकृति और इतिहास को समझने से यहां तक कि अत्यंत उदार आलोचक भी इन्कार कर रहे हैं। जिस बात का उल्लेख प्राय: नहीं किया जाता है, वह यह है कि मानवता का सबसे ख़तरनाक दुश्मन अटलांटिक महासागर के उस पार खड़ा है।

जॉन केरी का झूठ और बराक ओबामा के चक्करदार जुमले टिक नहीं पा रहे हैं। समय आने पर रासायनिक हथियारों के बारे में रूस के शांति संबंधी प्रस्ताव का उसी शैली में मखौल उड़ाया जाएगा, जिस शैली में सभी सैन्यवादी कूटनीति का मखौल उड़ाते हैं। जब अमेरिका ने अल-क़ायदा को अपना सहयोगी बना लिया है और अमेरिकी सैनिक तख़्तापलट विशेषज्ञ काहिरा में जमकर बैठे हैं, तो अमेरिका ने अब मध्य-पूर्व के अंतिम स्वतंत्र देशों को कुचलने का इरादा बना लिया है। पहले सीरिया और फिर ईरान को। फ्रांस के पूर्व विदेश मंत्री रोलां दुमा ने जून में कहा था कि, "सीरिया में की जाने वाली इस कार्रवाई के पीछे लम्बी कहानी है। इसकी तैयारी की गयी थी। पूरा नक़्शा और योजना पहले ही बना ली गयी थी।"

सीरिया पर हमले के ख़िलाफ़ ब्रिटिश जनता के ज़बरदस्त गुस्से का चैनल-4 के रिपोर्टर जोनाथन रगमैन ने जिन शब्दों में बयान किया है–जब जनता "मनोवैज्ञानिक रूप से घाव खाती है"–तब अकथनीय उपायों का सहारा लेना अपरिहार्य हो जाता है। दमिश्क़ के उपनगरीय इलाक़ों में रासायनिक गैस का इस्तेमाल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने किया हो या वहां के "विद्रोहियों" ने, एक बात तो तय है कि दुनिया भर में इन ख़तरनाक हथियारों का सबसे कुशल इस्तेमाल करने वाला देश सीरिया नहीं बल्कि अमेरिका है। 1970 में अमेरिकी सीनेट में जो रिपोर्ट दी गयी थी, जिसमें कहा गया था कि, "अमेरिका ने वियतनाम में ज़हरीले रासायनों (डायोक्सीन) का इतना बड़ा ज़ख़ीरा भर दिया है कि आबादी के हर आदमी के हिस्से में तक़रीबन छह पाउंड तक आएगा।" यही 'ऑपरेशन हेडस' था, जिसका नाम बाद में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए 'ऑपरेशन रैंच हैंड' रख दिया गया था। इस ऑपरेशन को वियतनामी डॉक्टर 'भ्रूण विनाश के दुष्चक्र" का स्रोत बताते हैं।

मैंने ख़ुद वहां बच्चों की ऐसी पीढ़ियों को देखा है जो जानी-पहचानी ख़तरनाक विकलांगता के साथ पल रही थीं। जॉन केरी का अपना रिकॉर्ड भी जंग में बहे आम लोगों के ख़ून से तर-बतर है, उन्हें वे बच्चे ज़रूर याद होंगे। मैंने उन बच्चों को इराक़ में भी देखा, जहां अमेरिका ने विमान से गिराये बमों में भंगुर यूरेनियम और सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था, उसी तरह जैसे कि इस्राईल ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूलों और अस्पतालों पर किया

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

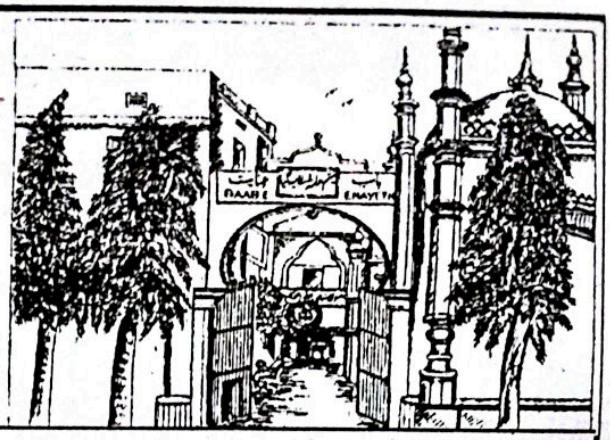

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 96 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2013-2014 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० और लाइब्रेरी साइंस (BLIS) में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 18 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 100 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें–उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप ख़ुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

नोट : इनायत टेक्निकल इंस्टीट्यूट (Technical Institute) की इमारत के निर्माण का काम अंतिम पड़ाव पर है।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,

UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें–THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

Bank IFS Code No. : UBIN 0530042

CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, Mobile : 9955655960, 09801213022

E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष : डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम : डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

था । उस समय ओबामा के लिए कोई 'रेड लाइन' (सीमा रेखा) नहीं थी । उस समय उनके लिए कोई 'साइको ड्रामा' भी नहीं था ।

कुछ चुनिन्दा तानाशाहों (यानी जो अमेरिका और उसके अनुचरों द्वारा हवाई बम गिराकर हत्या करने की सनकभरी कार्रवाई पर जय-जयकार करते हों) के ख़िलाफ़ ''हमें कार्रवाई करनी चाहिए अथवा नहीं''–इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार चलने वाली बहस हमारी ब्रेन वाशिंग के प्रयासों का ही अंग है । अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के सम्मानित अवकाश प्राप्त प्रोफ़ेसर और संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीनी मामलों के प्रतिवेदक रिचॉर्ड फॉक का कहना है कि ''यह एक दंभी, एकतरफ़ा और क़ानूनी/नैतिक़ पर्दा है, जो पश्चिमी मूल्यों की सकारात्मक छवि को ख़तरे में पड़ा दिखाता है, जो बेलगाम राजनीतिक हिंसा के अभियान को जायज़ ठहराता है ।'' इस पर्दे को ''इस क़दर व्यापक स्वीकार्यता मिल गयी है, कि इसे कोई चुनौती देने का साहस नहीं करता है ।''

यह अब तक का सबसे बड़ा झूठ है : जो ब्रिटिश-अमेरिकन राजनीति के ''उदार यथार्थवादियों'', विद्वानों और मीडिया की उपज है । यह मंडली ख़ुद को किसी संकट का कारक नहीं बल्कि दुनिया को संकट से उबारने वाला प्रबंधक मानती है । ये लोग राष्ट्रों के इतिहास में से मानवता को निकाल कर और उसे ऐसी जुमलेबाज़ियों, जो पश्चिमी सत्ताधीशों की योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति करती हों, में ढालकर पेश करते हैं ताकि वे उन्हें ''नाकामयाब'', ''दुष्ट'' या ''शैतानी'' राज्यों के दर्जे में डाल दें, जहां उनके द्वारा ''मानवीय हस्तक्षेप'' ज़रूरी हो गया है ।

सीरिया हो या ईरान या फिर कोई ऐसा देश जिसने अमेरिका की निगाह में 'दानव' का रूप ले लिया है, उस पर हमला करने के लिए ''लोगों की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी'' (रिस्पांसिबिलिटी टु प्रोटेक्ट अथवा आर2पी) के सिद्धांत का सहारा लेने का फ़ैशन चल पड़ा है । इस धारणा के मुख्य प्रचारक की ज़िम्मेदारी उठायी है दुनिया का चक्कर लगाने वाले उन्मादी प्रवक्ता आस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री गैरेथ इवांस ने, जो इन दिनों न्यूयॉर्क स्थित 'ग्लोबल सेंटर' के सहअध्यक्ष भी हैं । गैरेथ इवांस और उनके फंड से मालामाल पैरवीकार ''अंतर्राष्ट्रीय समुदाय'' को इस बात के लिए राज़ी कराने में महत्वपूर्ण प्रचारकों की भूमिका निभाते हैं कि ''जिन देशों पर हमला करने की अनुमति संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद न दे रही हो या फिर जिससे सुरक्षा परिषद एक निश्चित समय सीमा में मसले का निबटारा न कर सके'', उन देशों पर भी हमला किया जाए।

गैरेथ इवांस का मैंने 1994 में अपनी फ़िल्म 'डेथ ऑफ़ ए नेशन' के लिए इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर्वी तिमोर में कितने बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ था । फ़िल्म में चेहरे पर एक भद्र मुस्कान बिखेरे कैनबरा का यह शख़्स आस्ट्रेलिया के एक विमान में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के साथ शैम्पेन का जाम झलकाते हुए पूर्वी तिमोर के ऊपर से जा रहा है । उसने इंडोनेशिया के साथ अभी-अभी एक समझौता किया है, जिसके ज़रिये ग़रीबी से जर्जर पूर्वी तिमोर से तेल और गैस की डकैती की जाएगी ।

2008 में, जब ओबामा के उदार भक्त अपने आसूं पोंछ रहे थे, ओबामा ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के समूचे पेंटागन को, उसके युद्ध और अपराधों में लिप्तता को अंगीकार कर लिया । जहां संविधान का एक उदीयमान पुलिस राज्य ले चुका है, जिन्होंने बर्बर हमले से इराक़ का विध्वंस किया और अफ़ग़ानिस्तान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, और लीबिया को एक दु:स्वप्न का शिकार बना दिया, वे आज अमेरिकी प्रशासन की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं ।

अपने शौर्य चिन्हों को सीने पर लगाये अत्महत्या करने वाले भूतपूर्व अमेरिकी सैनिकों की तादाद आज युद्ध के मैदान में मरने वाले सैनिकों की तुलना में अधिक हो गयी है । पिछले वर्ष 6,500 वरिष्ठ अमेरिकी सैनिकों ने आत्महत्याएं कीं । अब और झंडे लगाकर क्या होगा ?

इतिहासकार नॉर्मल पोलॉक इसे 'उदार फासीवाद' कहते हैं । उन्होंने लिखा है ''फ़ौजी ढंग से चलने वाले लोगों के लिए इसकी जगह पर ज़्यादा अहानिकर प्रतीत होने वाली शब्दावली 'सम्पूर्ण संस्कृति का सैन्यीकरण' का इस्तेमाल कर लीजिए । और अब एक शेख़ीबाज़ नेता (बुश) के स्थान पर हमारे सामने हैं एक ऐसा असफल सुधारक (ओबामा), जो हमेशा मुस्करा रहा है, काम में प्रसन्न है, मगर हत्याओं की योजनाएं बना रहा है और उन्हें अंजाम दे रहा है ।''

(लेखक विख्यात पत्रकार और डाक्यूमेंट्री निर्माता हैं)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करो ।"

(क़ुरआन)

Ek Hamdard, Ranchi
(Jharkhand)

स्पेस सूट क्यों पहनते हैं अन्तरिक्ष यात्री

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम से हम सब भली-भांति परिचित हैं । उन्होंने अन्तरिक्ष में छह महीनों तक रहने तथा सबसे लम्बा स्पेस वाक करने का विश्व कीर्तिमान बनाया है । हम टेलीविज़न चैनलों तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं में सुनीता विलियम्स तथा अन्य अन्तरिक्ष यात्रियों के चित्र प्राय: देखते हैं जिसमें वे सदैव विशेष प्रकार की पोशाक धारण किये रहते हैं । जिस पर हेलमेट तथा ऑक्सीजन मास्क भी लगा रहता है । अंतरिक्ष में जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इसे धारण करना आवश्यक होता है । इसे स्पेस सूट के नाम से जाना जाता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन रक्षक है ।

स्पेस सूट को पहने बग़ैर अंतरिक्ष में एक मिनट भी रह पाना संभव नहीं होता । स्पेस सूट की वजह से ही अंतरिक्ष की प्रतिकूल परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्री जीवित रह पाते हैं । यदि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष लोक में यह सूट न पहनें तो उनका जीवित रह पाना मुश्किल हो जाए । विशेष प्रकार के इस सूट को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत परिश्रम तथा शोध किया है ।

यह सूट उस साधारण कपड़े से नहीं निर्मित होता जिसे हम और आप सामान्य दैनिक जीवन में पहनते हैं । नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्षीय परिस्थितियों का आकलन करने के उपरांत इस सूट को तैयार करते हैं । अंतरिक्ष यात्रियों के इस सूट को तैयार करने में हार्ड अपर टोर्सो नामक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है ।

इस सूट को पहनने के बाद हमारे शरीर का तापमान तथा बाह्य वातावरण का शरीर पर पड़ने वाला दबाव नियंत्रित रहता है । इसके साथ ही इस सूट को इस प्रकार से बनाया तथा तैयार किया जाता है कि यह अंतरिक्ष में विद्यमान हानिकारक किरणों से मानव शरीर को बचाने में कवच का काम करता है । इस सूट के अन्दर एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम व्यवस्थित होता है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को विपरीत अंतरिक्षीय परिस्थितियों में भी शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है । इस सूट के अन्दर गैस तथा द्रव पदार्थों को रीचार्ज तथा डिस्चार्ज करने की भी व्यवस्था होती है । इस सूट में अंतरिक्ष यात्री वहां से एकत्र किये गये ठोस कणों को सुरक्षित रख तथा ला सकते हैं । जिन पर बाद में प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है ।

पर्यावरण संतुलन में सहायक है चमगादड़

फ़िल्मों तथा टी०वी० चैनलों के धारावाहिकों में प्राय: किसी दृश्य को डरावना दिखाने तथा ख़ौफ़नाक बनाने के लिए चमगादड़ों को उड़ते अथवा खंडहरों में उलटे टंगे हुए प्रदर्शित किया जाता है । मगर काल पंखदार आकार में डरावना दिखने वाला चमगादड़ स्वभावत: बेहद सरल होता है । यह एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी है जो मनुष्य की परछाईं तक से दूर रहता है, मगर अंधविश्वासों तथा कतिपय मिथक के कारण मनुष्य इनका दुश्मन बन गया है । इन्हीं अंधविश्वासों के चलते हॉलीवुड में इनको लेकर अनेक फ़िल्मों का निर्माण किया गया तथा चमगादड़ों का नाम ही वैंपायर यानी ख़ून चूसने वाला (रक्त सूचक) पड़ गया ।

वास्तविकता तो यह है कि हमारे पर्यावरण के संतुलन में चमगादड़ों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, मगर चिन्ताजनक बात है कि दुनिया भर में चमगादड़ों की तादाद घटती जा रही है । पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मलेरिया, मेनेंजाइटिस, डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसी मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जिस प्रकार मानव जीवन के लिए ख़तरा बनती जा रही हैं, उसके पीछे भी चमगादड़ों की घटती संख्या प्रमुख कारण है । मच्छरों के लिए चमगादड़ काल समान है । जहां मच्छरों की तादाद बहुत अधिक है, वहां भूरे रंग की प्रजाति का चमगादड़ एक घंटे में कम से कम छह सौ से लेकर 1200 तक मच्छरों को आराम से खा जाता है । एक प्रजाति का चमगादड़ एक घंटे में तीन हज़ार से भी अधिक मच्छरों को चट कर जाता है । चमगादड़ उड़ने वाले कीड़े-मकोड़ों की आबादी पर नियंत्रण का कार्य बख़ूबी करता है । यह खेत-खलिहानों को नुक़सान पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़ों को भी चट कर किसानों का बड़ा उपकार करता है ।

पूर्वोत्तर भारत, थाईलैंड, बाली तथा इंडोनेशिया में चमगादड़ का मांस खाने का चलन है । मादा चमगादड़ साल में एक तथा कभी-कभी दो चमगादड़ को पैदा करती है ।

इसकी आयु 25 से 40 वर्ष के मध्य होती है। विश्व भर में चमगादड़ों की 1100 प्रजातियां पायी जाती हैं, जिनमें से सिर्फ़ तीन प्रजातियां वैम्पायर यानी रक्त चूसने वाली हैं। इस प्रजाति के चमगादड़ मनुष्यों का नहीं, बल्कि मुर्ग़ी, बत्तख़, सूअर, कुत्ता, घोड़ा तथा बिल्ली का ख़ून चूसते हैं। शेष प्रजाति के चमगादड़ कीड़े-मकोड़े, फल, मेंढक, मछली तथा पुष्प का पराग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर कोई चमगादड़ कभी किसी मनुष्य की तरफ़ बढ़ता भी है तो उसका उद्देश्य हमला करना नहीं, बल्कि आप-पास उड़ रहे मच्छरों को खाना होता है। चमगादड़ों में प्रतिध्वनि के आधार पर काम करने वाला सोनार सिस्टम होता है। जिसकी सहायता से ये अपनी आवाज़ के मच्छरों तथा कीड़े मकोड़ों से टकरा कर आने वाली प्रतिध्वनि की पहचान करते हैं तथा उसी की मदद से अपना आहार ढूंढ़ते हैं। चमगादड़ मनुष्य का दुश्मन नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से सहायक मित्र है। ● **विद्या प्रकाश**



मक्खी

- मक्खियों की 40,000 से अधिक प्रजातियां होती हैं। एक मक्खी एक समय में 120 से 150 अंडे देती है।
- मक्खियां अपने जीवन काल में 600 से 900 तक अंडे देती हैं।
- मक्खी के अंडे 1/20 से 1/25 इंच लंबे होते हैं। यदि मक्खियों को न मारा जाए, तो गर्मी के एक मौसम में मक्खियों के वंशज पैदा हो सकते हैं।
- सर्दी के कारण शत्रु से बचने के लिए मक्खियां 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक उड़ सकती है।
- उड़ते समय मक्खियां एक सेकेंड में लगभग 200 बार अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं। पंख फड़फड़ाने से ही भिनभिनाने की आवाज़ पैदा होती है।
- मक्खियों के दांत नहीं होते। अत: जिस चीज़ को उन्हें खाना होता है, उस वस्तु पर वे अपना थूक गिराकर उसे नरम बनाती हैं। फिर उसे चाट जाती हैं।
- मक्खी कभी अकेले अंडा नहीं देती। 40-50 मक्खियों का समूह एक उपयुक्त स्थान को खोजकर वहां एक साथ अंडे देते हैं।
- एक मक्खी की आयु केवल दो या ढाई मास होती है।
- एक मक्खी 1/4 इंच तक लंबी होती है। कुछ मक्खियां इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है।
- मक्खियां हर पांच मिनट बाद मल त्याग करती हैं।
- मक्खी की एक क़िस्म होती है, घोड़ा मक्खी। यह मक्खी चूसने वाली मक्खी होती है।
- फल मक्खी छोटी-सी होती है। वह जिस फल पर बैठती है, उस फल में छेद कर उसका रस पी जाती है जिससे फल सूख जाता है या मुरझाकर गिर जाता है।
- मक्खी के पंजे के बीच में एक गद्दी होती है जिसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। इसकी सहायता से यह दीवार या छतों पर उल्टी सीधी और खड़ी हर प्रकार से चल सकती है।

■ **संजय मिश्र**

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित।
फोन: 09818799223, 011-26949430
संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

Shaikh Mohd. Iqbal
Mobile : 9820085263

Tel. : 2503 1593

BHARAT OXYGEN CORPORATION

Dealers in : Industrial Gases & Mixture Gases, Medical & Surgical Equipments

Shop. No. 6, 168, L.B.S. Marg, Next to Kalpana Cinema, Kurla (W), Mumbai-400070

E-mail : Iqbal_shaikh123@yahoo.com

Posted on 20-21 January 2014
Feburary 2014
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.01.2014

हिन्दी साहित्यों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2012-14

Proprietor : Abul Shaikh

Cell : 9822140173
0832-2726826

AFSHA ENTERPRISES

Distributors of Imported Pastas, Adult Diapers, Olives & Olive Oils, Pringles, Dry Fruits, Cheese, Jams, Soaps, Deo



Shop No. 8, City Plaza 1, Opp. Kesar Plywood, Khareband, Pedda, Margao - Goa
Sales Manager - Mohd Hanif Mob.: 9764460422